सत्यमेव जयते

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

CARA

ANNUAL REPORT

2022-2023

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2022–2023

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

cara.wcd.gov.in

विषय-सूची

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कथन 01

अध्याय 1: परिचय 03

1.1 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 03

1.2 कारा की संचालन समिति 03

अध्याय 2: हालिया सरकारी अधिसूचनाएं 04

2.1 अधिसूचनाएं 04

2.2 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) और विनियम, 2022 के बारे में 04

अध्याय 3: कार्यक्रम और महत्वपूर्ण उपलब्धियां 06

3.1 दत्तक-ग्रहण जागरूकता माह, 2022 की मुख्य विशेषताएं 06

3.2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास 10

3.3 बड़ी उम्र के बच्चों का पुनर्वास 10

3.4 बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) 10

3.5 प्रशिक्षण और विकास से संबंधित गतिविधियां 15

3.6 दौरे और निरीक्षण 17

3.7 दत्तक-ग्रहण जागरूकता माह-2022 और माता-पिता सम्मेलन 19

3.8 हिंदी पखवाड़ा 20

3.9 संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा निरीक्षण 20

3.10 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 का अनुपालन 21

3.11 स्वच्छता पखवाड़ा 2022 21

अध्याय 4: सांविधिक अनुपालन 22

4.1 सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का अनुपालन 22

4.2 शिकायत प्रबंधन 23

4.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में सूचना 23

4.4 कार्यस्थल पर दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में सूचना 23

अध्याय 5: आंकड़ा 24

5.1 दत्तक ग्रहण के आंकड़े (समेकित पिछले 3 वर्षों के दौरान) 24

5.2 देशीय और अंतर देशीय दत्तक-ग्रहण का राज्य-वार और लिंग-वार आंकड़े 24

5.3 भारतीय बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण का देश-वार और लिंग-वार आंकड़े 25

5.4 देशीय दत्तक-ग्रहण का श्रेणी-वार विवरण 26

5.5 अंतर देशीय दत्तक-ग्रहण का श्रेणी-वार विवरण 26

5.6 देशीय रिश्तेदार और सौतेले माता-पिता के दत्तक-ग्रहण के मामलों में जारी किए गए पूर्व-अनुमोदन पत्र 26

5.7 अंतर देशीय रिश्तेदार दत्तक-ग्रहण के मामलों में जारी किए गए पूर्व-अनुमोदन पत्र 27

5.8 अंतर देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों की जांच की गई 27

5.9 देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए किये गए गृह अध्ययन के मामले 27

अध्याय 6: अनुबंध 28

परिशिष्ट-क: व्यय विवरण 28

परिशिष्ट-ख: जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की राज्य-वार संख्या 30

परिशिष्ट-ग: विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की राज्य-वार संख्या 32

परिशिष्ट-घ: देश-वार प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएफए) की संख्या और विवरण 33

परिशिष्ट-ड़: कारा/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न हितधारकों को जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों और परामर्श पत्रों की प्रतियां 34

अध्याय 7: कारा के वार्षिक लेखा के सम्बन्ध में सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 66

अनिल मलिक, आई.ए.एस.
सचिव
Anil Malik, I.A.S.
Secretary
Tel. : 011-23383586, 23386731
Fax : 011-23381495
E-mail: secy.wcd@nic.in

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001
Government of India
Ministry of Women & Child Development

संदेश

कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास एवं सहयोग की सराहना करता हूँ। भारत में दत्तक-ग्रहण प्रणाली का आधार बहुत सशक्त है, जिसे और सुव्यवस्थित करना तथा आगे बढ़ाना आवश्यक है। मंत्रालय ने कारा के सहयोग से देश में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

इस दिशा में अनेक नई पहल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं: जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना, राज्य आधारित रेफरल प्रणाली, फॉस्टर एडॉप्शन आदि। दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में, दत्तक-ग्रहण के मामले को सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए प्रत्येक चरण अपने पिछले चरण पर निर्भर करता है। दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले विलंब को कम करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं ऐसे भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) जो दत्तक-ग्रहण के प्रति गंभीर नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय लागू किए गए हैं।

बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS) में समय-समय पर परिवर्तन एवं संशोधन किए जा रहे हैं। इसे एकमात्र ऑनलाइन प्रणाली के रूप में नामित किया गया है जिसके माध्यम से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत कानूनी रूप से दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। इस स्वचालित प्रणाली में माता-पिता द्वारा दिए गए विकल्पों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार दत्तक-ग्रहण हेतु उपलब्ध बच्चों का स्वतः मिलान किया जाता है। इसके साथ ही, भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) 'विशेष आवश्यकता' टैब के माध्यम से सीधे तौर पर बच्चों को देख सकते हैं और उन्हें आरक्षित कर सकते हैं और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति वाले अपेक्षाकृत बड़े बच्चे 'तत्काल प्लेसमेंट' टैब के माध्यम से आरक्षित किए जा सकते हैं।

मैं सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे दत्तक-ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देने के लिए 5 श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विज़िटेशन और अनफिट गार्डियन्स/पेरेंट्स) के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों का CARINGS पोर्टल पर पंजीकरण करने का प्रयास करें।

मैं इस मिशन में समर्पण और निष्ठा भाव के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

(अनिल मलिक)
सचिव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार एवं
अध्यक्ष, कारा की संचालन समिति

Room No. 601, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Website : http://www.wcd.nic.in

परिवर्णी शब्द

एआर	:	दत्तक ग्रहण विनियम 2022
एएफएए	:	प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	:	केंद्रीय प्राधिकरण
कारा	:	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	:	बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली
सीसी	:	अनुरूपता प्रमाणपत्र
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीडब्लूसी	:	बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	:	जिला बाल संरक्षण इकाई
डीसीपीओ	:	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
एचएसआर	:	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपिएस	:	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
आईसीटी	:	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएम	:	भारतीय राजनयिक मिशन
आईइसी	:	सूचना शिक्षा और संचार
जेजेएक्ट	:	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संसोधित)
जेजेमॉडल रूल्स	:	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (2022 में संसोधित)
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
ओएएस	:	अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित (बच्चे)
ओसीआई	:	भारतीय प्रवासी नागरिक
पीएपी	:	भावी दत्तक माता-पिता
एसएए	:	विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण
एसएआरए	:	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएनसी	:	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

1 अध्याय

परिचय

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 अधिदेश

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसके प्रमुख कार्य हैं :

क. देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्यों के बीच दत्तक ग्रहण की सुविधा प्रदान करना : कारा राज्य अभिकरणों के साथ मिलकर भारत के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने का काम करता है।

ख. अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करना : कारा भारतीय बच्चों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की देखरेख करता है।

ग. दत्तक ग्रहण संबंधी विनियम बनाना: कारा दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं और संबंधित मामलों से जुड़े विनियमों का विकास और कार्यान्वयन करता है।

घ. हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण: कारा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन के तहत भारत के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाल संरक्षण सुनिश्चित करता है।

ङ. अन्य निर्धारित कार्य: कारा सरकार द्वारा लागू किए गए अतिरिक्त कार्य भी कर सकता है।

1.1.2 कारा के उद्देश्य :

कारा का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना है। कारा भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करता है। कारा ऑनलाइन पंजीकरण, रेफरल (वरिष्ठता के आधार पर), आरक्षण और मिलान प्रणाली और पारदर्शिता के लिए ऑफ़लाइन मिलान को समाप्त करना है। नई दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और ई-गवर्नेंस के माध्यम से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ली है।

1.2 कारा की संचालन समिति :

1.2.1 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला और बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत में निम्नलिखित सदस्यों वाली एक संचालन समिति होगी:

(क) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव, जो अध्यक्ष होंगे - (पदेन)

(ख) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्राधिकरण से संबंधित - (पदेन)

(ग) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, वित्त से संबंधित- (पदेन)

(घ) कोई एक राज्य दत्तक-ग्रहण अधिकरण और दो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण

(ड़) एक दत्तक माता-पिता और एक बच्चा ;

(च) परिवार कानून में कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक अधिवक्ता या प्रोफेसर ;

(छ) सदस्य-सचिव, जो संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी होंगे।

1.2.2 वर्ष 2022-23 के दौरान, कारा की संचालन समिति ने विभिन्न नीतिगत मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समिति ने निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया :-

- 31वीं बैठक 18 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई
- 32वीं बैठक परिसंचरण आधार पर आयोजित की गई
- 33वीं बैठक 11 अगस्त 2022 को आयोजित की गई
- 34वीं बैठक 15 फरबरी 2023 को आयोजित की गई

2
अध्याय

वर्तमान सरकारी अधिसूचनाएं

2.1 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और दत्तक-ग्रहण विनियम

2.1.1 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 2021 में संशोधित किया गया था और अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुपालन में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमों और दत्तक ग्रहण विनियमों में कई बदलाव किए गए हैं। अधिसूचनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 में संशोधन सरकार की अधिसूचना दिनांक 01/09/2022 के माध्यम से किए गए थे।

ii. दत्तक ग्रहण विनियम 2022: अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधनों के बाद, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 को 23/09/2022 को अधिसूचित किया गया था ताकि इसे मूल अधिनियम के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को अधिक बाल-केंद्रित, सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए नवीनतम विनियमों में कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

2.2 किशोर न्याय अधिनियम 2015 (2021 में संशोधित) और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के बारे में :

2.2.1 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के बारे में :

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) का अध्याय VIII अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों को गोद लेने और रिश्तेदारों द्वारा बच्चों को गोद लेने के प्रावधानों से संबंधित है। यह अधिनियम ऐसे बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के सभी मामलों को कारा द्वारा तैयार किए गए और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार संसाधित किया जाना है।

2.2.2 दत्तक ग्रहण विनियम, 2022

कारा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 (ग) के तहत अनिवार्य रूप से नवीनतम दत्तक ग्रहण विनियम 2022 तैयार किए हैं, जो 23 सितंबर, 2022 से लागू हो गए हैं। नए दत्तक ग्रहण विनियम का उद्देश्य दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को मजबूत करना है। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता, बच्चों की शीघ्र संस्थान मुक्ति, माता-पिता के लिए सूचित विकल्प, नैतिक व्यवहार और कड़ाई से परिभाषित समय-सीमा दत्तक ग्रहण विनियम के मुख्य पहलू हैं।

दत्तक ग्रहण नियम, 2022 के नियम 3 में प्रावधान के अनुसार, भारत से बच्चों को गोद लेने के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धांत लागू होंगे :

(क) किसी भी बच्चे के दत्तक ग्रहण के स्थान पर उसके सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि महत्व दिया जाएगा।

(ख) बच्चे को जहाँ तक संभव हो उसके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में रखने के सिद्धांत के अनुसार भारतीय नागरिकों को दत्तक ग्रहण में वरीयता दी जाएगी;

(ग) दत्तक-ग्रहण के सभी आवेदनों को निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

दत्तक ग्रहण की निम्नलिखित श्रेणियों के नियमों में परिभाषित किया गया है:

(क) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों का देश के अंदर दत्तक-ग्रहण।

(ख) देश के अंदर रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण।

(ग) सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण।

(घ) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों का देश के बाहर

दत्तक-ग्रहण।

(ड़) देश के बाहर रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण।

(च) फॉस्टर केयर के बाद दत्तक-ग्रहण।

(छ) हिंदू दत्तक-ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम (हामा), 1956 के तहत ऐसे बच्चों का दत्तक-ग्रहण जिनके माता-पिता उन्हें विदेश में स्थानांतरित करना चाहते हैं।

3
अध्याय

कार्यक्रम और महत्वपूर्ण उपलब्धियां

3.1 दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की मुख्य विशेषताएं

यह अध्याय दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की प्रमुख विशेषताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है, जो यह बताता है कि भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को कैसे बेहतर किया गया है।

3.1.1 अडॉप्शन आर्डर जारी करने का जिला मजिस्ट्रेट (DM) का अधिकार

दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 अधिसूचित होने से पहले, अडॉप्शन आर्डर जारी करने की जिम्मेदारी अदालतों की थी। अब अडॉप्शन आर्डर जारी करने की ज़िम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट (DM) की है। जिला मजिस्ट्रेट जिले में बाल संरक्षण प्रमुख के रूप में कार्य करता है और वह जेजे अधिनियम 2015 (2021 में संशोधित) के तहत दत्तक ग्रहण आदेश जारी करता है। देश के सभी जिला मजिस्ट्रेट ऑनलाइन पंजीकृत हैं।

जिला मजिस्ट्रेट (DM) जिला स्तर पर प्रशासन के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उन पर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और साथ ही बच्चों के हित में आपसी तालमेल सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाता है। जेजे संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुरूप, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 ने जिला मजिस्ट्रेट को एक निश्चित समय सीमा के भीतर दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का उत्तरदायित्व दिया है। 12 सितंबर 2022 तक विभिन्न न्यायालयों में दो महीने से लेकर एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित 997 दत्तक ग्रहण आदेश थे। 31 मार्च 2023 तक लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।

3.1.2 राज्य आधारित रेफरल

लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 अनिवार्य रूप से सभी भावी दत्तक जैसे - भारतीय निवासियों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय प्रवासी नागरिकों (OCI) को पहचान पत्र प्रमाण के आधार पर किसी विशिष्ट राज्य/राज्यों के समूह चुनने के लिए कहता है ताकि बच्चों को उसके पूर्ववर्ती सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में रखा जा सके।

3.1.3 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) द्वारा विशेष आवश्यकताओं का सत्यापन करना

दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 37 में मौजूद प्रावधान के अनुसार, जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्थान में रहने वाले विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के उपचार की सुविधा प्रदान करेंगे।वह मौजूदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर 'सामान्य' या 'विशेष आवश्यकताओं' वाली घोषित करेंगें और अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग-ई) के तहत वर्णित उपचार को प्रोत्साहित भी करेंगें। मार्च 2023 के अंत तक लगभग 550 सीएमओ ऑनलाइन पंजीकृत हो चुके थे।

3.1.4 देशीय दत्तक-ग्रहण को प्रोत्साहित करना :

देश में दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए दत्तक-ग्रहण नियम 2022 में एक नया प्रावधान अनिवार्य किया गया है।इसके अंतर्गत वे बच्चे जिन्हें अपने निर्धारित रेफरल चक्र के भीतर परिवार नहीं मिल सके, उन्हें अब आरआई, एनआरआई और ओसीआई दत्तक के समक्ष बिना किसी वरिष्ठता के अडॉप्शन के लिए पात्र किया जा रहा है। इससे पहले आरआई/एनआरआई/ओसीआई पीएपी के लिए 7 दिन' टैब के माध्यम से पीएपी की वरिष्ठता तय की जाती थी। इस कदम की सराहना वैश्विक स्तर पर हो रही है।

3.1.5 विघटन या विसर्जन में अनिवार्य परामर्श प्रदान करना:

दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में परामर्श का प्रावधान नहीं था, जिससे दत्तक-ग्रहण करने वाले दंपति (PAPs) और बच्चों के बीच परिचय नहीं हो पता था। इसके परिणामस्वरूप विघटन और विसर्जन की प्रक्रिया तय की गयी। दत्तक-ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) और बड़ी उम्र के बच्चों को दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के दौरान और बाद में आने वाली जरूरतों, अपेक्षाओं,

चुनौतियों और समाधानों से अवगत कराने के लिए, दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के तहत भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) और बच्चों के लिए अनिवार्य परामर्श को निर्धारित किया गया है। परामर्श का उद्देश्य भावी दत्तक को तैयार करना और दत्तक-ग्रहण करने वाले बच्चे के दत्तक परिवार में तेजी से ढलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।

दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत जिन ममलों में विघटन/विसर्जन हुआ है, वहां बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। केयरिंग्स के माध्यम से विघटन या विसर्जन की ऑनलाइन प्रक्रिया भी सक्षम की गई है।

3.1.6 गोद लेने की प्रक्रिया में सामान्य गलतियों की सज़ा:

पहले, जो भावी दत्तक माता-पिता निर्धारित रेफरल में से किसी को भी आरक्षित नहीं करते थे उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता था और उनकी वरिष्ठता परिपक्व होने पर उसी पंजीकरण पर रेफरल लेने की अनुमति दी जाती थी। इसी तरह, विघटन/विसर्जन के पूर्व मामलों में उत्तरदायी भावी दत्तक को दूसरे बच्चे को गोद लेने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, नए विनियमों में निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं:

- यदि भावी दत्तक निर्धारित तीन रेफरल में से किसी भी बच्चे को आरक्षित करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें एक वर्ष के लिए रोक दिया जाएगा, जिसके बाद वे नए पंजीकरण के साथ दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में फिर से प्रवेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि ऐसे सभी दत्तक-ग्रहण करने वाले दंपत्ति (PAPs) को पहले ही सिस्टम में रोक दिया गया है।
- यदि भावी दत्तक विघटन/विसर्जन के उत्तरदायी पाए जाते हैं तो उन्हें फिर से गोद लेने से रोक दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक कुल 36 भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को सिस्टम से रोक दिया गया है।

3.1.7 समय सीमाएं:

दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में प्रत्येक चरण सुचारू दत्तक-ग्रहण के लिए पिछले चरण पर निर्भर करता है। प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। विधिक विमुक्ति प्रमाणपत्र (एलएफए) को दस दिनों के भीतर अपलोड करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जांच करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आवेदन दस्तावेजों का सत्यापन करना और जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक आदेश जारी करना दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण समय सीमाएं हैं। विस्तृत समय सीमा को दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 की अनुसूची XIV में बताया गया है। दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित की है।

3.1.8 कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए भावी दत्तक माता-पिता की उम्र:

बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण करने के लिए, भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए बच्चे के ऊर्जा स्तर से मेल खाना महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की तुलना में एक शिशु को माता-पिता से अधिक शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की आयु वर्ग को बच्चे की आयु के अनुसार सीमांकित किया गया है। दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 में आयु पात्रता मानदंड को इसलिए संशोधित किया गया है ताकी छोटे बच्चों को युवा दंपति के साथ रखा जाए। इसके तहत 0-4 साल के आयु वर्ग के बच्चों को85 साल की सम्मिलित आयु वाले भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) ; और 0-2 साल के आयु वर्ग के बच्चों को एकल दत्तक-ग्रहण करने वाले माता-पिता के लिए 40 साल की आयु श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह 2-4 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भावी दत्तक माता-पिता के दत्तक-ग्रहण के लिए अधिकतम सम्मिलित आयु 90 वर्ष और एकल दत्तक-ग्रहण करने वाले माता-पिता के लिए 45 वर्ष तय की गई है।

3.1.9 भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) की भूमिका:

विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशन (I D M) को एनआरआई / ओसीआई भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा दत्तक-ग्रहण से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा, नवीनतम विनियम भारतीय राजनयिक मिशन (I D M) को अन्य देश में स्थानांतरित होने वाले भारतीय दत्तक माता-पिता के लिए शेष दत्तक-ग्रहण के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई करने का आदेश देते हैं।

3.1.10 जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारीयों की भूमिका :

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (भाग 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार एसएए या दत्तक माता-पिता द्वारा दायर एक आवेदन पर दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चे के पक्ष में जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें दत्तक माता-पिता का नाम पंजीकृत माता-पिता के रूप में और बच्चे की जन्म तिथि शामिल होती है। यह प्रक्रिया भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार पूरी की जाएगी। विनियमों ने स्पष्ट किया है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए "दत्तक माता-पिता की भौतिक उपस्थिति" आवश्यक नहीं है।

3.1.11 अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण:

एनओसी पहले एक 'एनओसी समिति' द्वारा जारी की जाती था, जिसका गठन प्राधिकरण द्वारा किया जाता था।इसमें कानूनी, सामाजिक और चिकित्सा क्षेत्र के सदस्य होते थे। बाद में यह देखा गया कि इन सभी पहलुओं की जांच पहले ही सीडब्ल्यूसी सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एसएए के डॉक्टरों द्वारा पंजीकरण के शुरुआती चरणों में कर ली जाती है। इसलिए, एनओसी समिति को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए 5 स्तरों वाला एक प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई। इससे एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

3.1.12 दत्तक-ग्रहण शुल्क और उसके उपयोग में स्पष्टता:

दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची XV में एसएए/सीसीआई द्वारा दत्तक-ग्रहण शुल्क और उसके उपयोग पैटर्न का एक विवरण प्रदान किया गया है। इससे, प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता आई है।

3.1.13 फॉस्टर अडॉप्शन:

फॉस्टर अडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चे को, जो पहले से ही एक परिवार की फॉस्टर केयर में है, उस परिवार की देख रेख में 2 साल सफलतापूर्वक पूरा करने पर स्थायी रूप से उसी परिवार के साथ रहने के लिए योग्य हो जाता है। विनियम 41(19) कारा को ऐसे बच्चों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल खोजने का आदेश देता है जिन्हें दत्तक-ग्रहण के माध्यम से परिवार नहीं मिल पाया है। आगे, विनियम 53 बच्चों के पुनर्वास के लिए अन्य विकल्पों को निर्धारित करता है, जिसके तहत कारा फॉस्टर केयर के माध्यम से कठिनाई से अडॉप्ट होने वाले बच्चों के लिए परिवार ढूँढने के लिए अधिक प्रयास करता है। दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के अनुरूप, कारा उन बड़ी उम्र के बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा दे रहा है जो पहले से ही फॉस्टर केयर में हैं।दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के लाभों को उन बड़ी उम्र के बच्चों तक विस्तारित करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ केयरिंग्स पोर्टल पर एक नया 'फॉस्टर केयर अडॉप्शन' मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसकी कानूनी स्थिति जेजे अधिनियम 2015 के तहत नियत प्रक्रियाओं के माध्यम से परिभाषित है। यह पोर्टल उन बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए चालू है जो पहले से ही पालक देखरेख में हैं और पालक माता-पिता उन्हें गोद लेने के लिए तैयार हैं। अब तक इस प्रक्रिया के माध्यम से दो बच्चों को लाभ हुआ है। एक मामला केरल के एक बालक का है जबकि कर्नाटक की एक बालिका को केयरिंग्स पोर्टल पर फॉस्टर अडॉप्शन के माध्यम से गोद लिया गया है। प्राधिकरण को इस पोर्टल के माध्यम से और अधिक सफलता की उम्मीद है।

3.1.14 हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया (दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार)

हिंदू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत अडॉप्ट किए गए बच्चों को विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाले माता-पिता के लिए विधिक प्रक्रिया- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 पर 23 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की थी। दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के अध्याय VIII में उन माता-पिता के लिए हिंदू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत दत्तक-ग्रहण के बाद की प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो दत्तक-ग्रहण के बाद बच्चे को विदेश में स्थानांतरित करना चाहते हैं। 17 सितंबर 2023 के बाद के HAMA के मामलों

में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण / भारतीय मिशन कारा की वेबसाइट केयरिंग्स https://carings.wcd.gov.in/ पर पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सभी भावी दत्तक माता-पिता जो अपने बच्चों को हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत गोद लेना चाहते हैं, उन्हें केयरिंग्स पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) या केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा और दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। वर्ष 2022-23 में, 46 दत्तक समर्थन पत्र जारी किए गए थे।

3.1.15 गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना:

गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) एक महत्वपूर्ण और प्रारंभिक दस्तावेज है जो दत्तक-ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का आंकलन करता है। नए विनियमों के अनुसार इस दायित्व को एक चयनित एसएए के सामाजिक कार्यकर्ता या गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) के संलग्न सामाजिक कार्यकर्ता या फिर डीसीपीयू के लिए आवंटित किया है। इससे लंबित गृह अध्ययन रिपोर्ट की मात्रा में काफी कमी आई है। वहीँ गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) जारी करने की समय सीमा को 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।

3.1.16 एसएए-सीसीआई लिंकेज :

जेजे अधिनियम 2015 की धारा 66(1)(2) के तहत, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों की जानकारी एकत्रित करनी होती है और उन्हें दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से तैयार करना होता है। इसके लिए सीडब्ल्यूसी को आस-पास के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना होता है। केयरिंग्स से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 5904 बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) बड़े बच्चों का दत्तक-ग्रहण सुनिश्चित करने के लिए511 विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसियों (एसएए) से जुड़े हुए हैं।

3.1.17 कारा हेल्पलाइन और शिकायतों का निपटारा :

भारत में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने वाली अभिकरणों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। यह जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत अनिवार्य है। शिकायतें मुख्य रूप से भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) सहित दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में सम्मिलित अन्य हितधारकों से प्राप्त होती हैं। शिकायतों की प्रकृति मुख्य रूप से चिकित्सा का आधार, दत्तक प्रक्रिया में देरी, वरिष्ठता की स्थिति, एसएए की दत्तक समिति द्वारा अस्वीकृति आदि पर आधारित होती हैं। शिकायतों को सभी संबंधित हितधारकों अर्थात् पीएपी, विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), राज्य दत्तक संसाधन अभिकरणों (एसएआरए) और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के समन्वय से निपटाया जाता है। जैसा कि दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 62 में अनिवार्य किया गया है, शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया जाता है। कारा द्वारा ऐसे समय हस्तक्षेप किया जाता है, जहां विभिन्न स्तर पर दत्तक प्रक्रिया में देरी हो रही होती है, मसलन बाल कल्याण समिति के स्तर पर लंबित कार्य और पासपोर्ट व जन्म प्रमाण पत्र के मामले में।

कारा हेल्पलाइन :

कारा हेल्पलाइन स्थापित की गई है जो सभी कार्य दिवसों (सोम-शुक्र) पर सुबह 8बजे से शाम 8बजे के बीच उपलब्ध है और जिन पर टोल-फ्री / हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है : 1800-11-1311/ 011-26760- 471/472/473/474। कारा हेल्पलाइन दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। यह भारत में दत्तक-ग्रहण से संबंधित मार्गदर्शन, सूचना और सहायता प्रदान करती है।

वहीँ, एक शिकायत पोर्टल को सक्षम शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सख्त अनुपालन मानकों को लागू करने और गैर-अनुपालन के मामलों में अधिकारियों को उत्तरदायी पाने पर सभी चिंताओं का समयबद्ध, सम्मानजनक और सक्रिय तरीके से समाधान करता है।

3.1.18 राज्य समन्वय

प्रत्येक बच्चे के लिए दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, देशीय समन्वय प्रभाग ने देश भर में दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में शामिल कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम किया है। इसमें राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA), जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ (DCPU), बाल कल्याण समितियां (CWC) विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखभाल संस्थान (CCI) शामिल हैं।

विभाग ने अन्य कार्यों को भी अंजाम दिया है जैसे कि केयरिंग्स पोर्टल पर संबंधित समस्याओं का समाधान करना और दत्तक-ग्रहण में शामिल माता-पिता और दत्तक अभिकरणों को शारीरिक या टेलीफोनिक परामर्श प्रदान करना। सीडब्ल्यूसी और न्यायालय/जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर देरी को कम करने के प्रयास किए गए हैं। इस अनुभाग ने विदेश जाने के लिए 63 समर्थन पत्र और इन-कंट्री रिश्तेदार/सौतेले दत्तक-ग्रहण के लिए आवश्यक 136 पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी करने से संबंधित कार्य पूरा किया है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, विभाग ने फॉस्टर अडॉप्शन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उन 446 बच्चों के लिए केयरिंग्स पोर्टल में एक ऑनलाइन टैब बनाने का काम किया, जो अब फॉस्टर केयर में हैं और जिन्हें कानूनी पहचान की आवश्यकता है।

3.2 बच्चों के पुनर्वास की विशेष आवश्यकताएं

दत्तक-ग्रहण विनियमों के अनुसार "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" का अर्थ है वह बच्चा जो मानसिक रूप से बीमार, या शारीरिक रूप से अक्षम, या दोनों है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐसे परिवारों द्वारा कुल 468 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आरक्षित किया गया था। ये बच्चे विभिन्न शारीरिक और मानसिक विकारों और अक्षमताओं से पीड़ित थे और परिवार की गर्मजोशी, प्यार और देखभाल का संस्थागत देखभाल में इंतजार कर रहे थे। मुख्य विकलांगता में दृष्टिबाधित, सेरिब्रलपॉलसी, फांक होंठ-तालु का फांक, क्लब फुट, श्रवण बाधा, जन्मजात हृदय रोग, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी+, हर्निया, एचआईवी, हाइड्रोसिफलस, जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, अंगों का न होना, वाक विकलांगता, थैलेसीमिया, ट्यूमर, बौद्धिक अक्षमता, आत्मकेंद्रित विकृति, दौरे, मानसिक बीमारी और स्पाइना बिफाइडा शामिल थे। सभी रिपोर्टों को विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरण से जुड़े डॉक्टरों द्वारा समर्थित किया गया था।

23 सितंबर, 2022 को नए दत्तक-ग्रहण विनियम लागू किए गए। विनियम 37 के अनुसार, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मौजूदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरण या बाल देखभाल संस्थान में रहने वाले विशेष जरूरतों वाले बच्चों के उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए नामित किया गया था और पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को अंकित करना था। वह सामान्य या जैसा कि अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग-ई) में वर्णित है, विशेष जरूरतों वाला घोषित होगी और इसी के आधार पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों के उपचार को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.3 बड़ी उम्र के बच्चों का पुनर्वास

बड़ी उम्र के बच्चों का दत्तक ग्रहण पूरा करना निस्संदेह रूप से एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन कारा टीम ने उनकी देखभाल करने के योग्य परिवार ढूँढने के सभी प्रयास किए हैं। कई बार ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जिस कारण अक्सर पारिवारिक समायोजन में समस्या आती है। इससे विघटन अथवा विसर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा होने से रोकने के लिए, कारा ने माता-पिता और बच्चे, दोनों को गहन परामर्श देकर बड़े बच्चों के पुनर्वास पर अधिक काम किया है। तत्काल पोर्टल के अलावा, 16 नवंबर 2022 को सात दिन की विंडो भी शुरू की गई थी। इन प्रयासों के कारण, इस वर्ष कुल 281 बड़ी उम्र के बच्चों का अडॉप्शन हो पाया है।

3.4 बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)

3.4.1 बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)

विधिक दत्तक-ग्रहण के लिए एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसे कारा की आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। इसमें विभिन्न हितधारकों को उनका लॉग-इन प्रदान किया गया है। इसे उस एकमात्र प्रणाली/ मंच के

रूप में स्थापित कर दिया गया है जिसके माध्यम से भारत में विधिक दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। पोर्टल को फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसे 2015 से अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाया गया। इसका नवीनतम संस्करण '3.2', 10 नवंबर 2022 को चालू किया गया, जिसमें दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार किए गए नए प्रावधानों को शामिल किया गया। इनमें देशीय रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण और देशीय दत्तक-ग्रहण अनुवर्ती मॉड्यूल शामिल हैं।

3.4.2 केयरिंग्स पोर्टल 'हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड को-ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर-कंट्री अडॉप्शन, 1993' में परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्य करता है।

भारत इसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों का निष्पादन करता है। यह विधिक रूप से मुक्त बच्चों से संबंधित दो डेटाबेस को एकीकृत करता है जो उसी प्रणाली के माध्यम से खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करने वाले भावी दत्तक माता-पिता (PAP) के साथ उपलब्ध हैं। स्वचालित प्रणाली दत्तक-ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों का मिलान माता-पिता द्वारा दी गई तरजीह के अनुरूप करती है और यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से ऑनलाइन रेफरल द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

साथ ही, भावी दत्तक माता-पिता सीधे विशेष आवश्यकता टैब और तत्काल प्लेसमेंट टैब के माध्यम से बच्चों को देखने और आरक्षित करने में सक्षम हैं।

3.4.3 मुख्य उद्देश्य :

क) देशीय और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया दोनों में शीघ्र, सुचारू और बाल-हितैषी दत्तक-ग्रहण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना।

ख) कार्यान्वयन करने वाली अभिकरणों की जवाबदेही बढ़ाना। हितधारकों का नेटवर्क बनाना।

ग) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में देरी को कम करना।

घ) भावी दत्तक माता-पिता (PAP) को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना।

ङ) नीतिगत निर्णय लेने के लिए डेटाबेस से विश्लेषण प्राप्त करना।

च) केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर एसएआरए/राज्य सरकार द्वारा दत्तक-ग्रहण और दत्तक-ग्रहण के बाद की प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी प्रदान करके दत्तक-ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना।

छ) परिश्रमपूर्वक नीति नियोजन के लिए एक डेटाबेस बनाना।

ज) दत्तक-ग्रहण अभिकरणों और बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के बीच संबंध बनाने के लिए माता-पिता की देखरेख के बिना सभी बच्चों का पूरा डेटाबेस प्राप्त करना, ताकि उन्हें जल्द से जल्द एक परिवार में रखा जा सके।

झ) बेहतर मिलान के लिए बच्चे और माता-पिता की प्रोफाइलिंग को सक्षम बनाना।

ञ) दत्तक-ग्रहण की इच्छा रखने वाले माता-पिता को प्रासंगिक जानकारी और उनकी रेफरल स्थिति ट्रैक कर प्रासंगिक सुविधा प्रदान करना।

3.4.4 केयरिंग्स :

इसके अंतर्गत निम्नलिखित मॉड्यूल/प्रावधान विकसित किए गए हैं:

क) अंतर-देशीय रिश्तेदार दत्तक ग्रहण।

ख) विभिन्न हितधारकों के लिए एसएमएस/ई-मेल अलर्ट प्रणाली।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) को दिनांक 01.09.2022 से लागू किया गया था। और दत्तक-ग्रहण विनियम 2017 में 2022 में संसोधन किया गया था। यह संसोधन जिन्हें दिनांक 23.09.2022 से अधिसूचित किये गए थे।

इसके अनुसार, निम्नलिखित मॉड्यूल और प्रावधान विकसित किए गए हैं और केयरिंग्स पोर्टल पर लाइव किए गए हैं :

i. राज्य/समूह राज्यों के साथ पंजीकरण प्राथमिकता (विनियम 9) के आधार पर भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) का पंजीकरण।

ii. संदर्भ उद्देश्य के लिए आरआई/एनआरआई के समान

ओसीआई का प्रावधान (विनियम 9)।

iii. जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के लिए ऑनलाइन अडॉप्शन आर्डर जारी करने के लिए मॉड्यूल (विनियम 36)।

iv. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के लिए बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को प्रमाणित करने के लिए मॉड्यूल (विनियम 37)।

v. जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) को गृह अध्ध्यन रिपोर्ट (एचएसआर) आयोजित करने और डीएम पोर्टल पर सत्यापन के बाद ऑनलाइन दत्तक-ग्रहण के आवेदन को अग्रेषित करने के लिए सक्षम बनाना (विनियम 38)।

vi. एनआरआई/ओसीआई माता-पिता द्वारा हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए), 1956 के तहत मॉड्यूल जो बच्चे को विदेश में स्थानांतरित करना चाहते हैं (17.09.2021 के बाद) (विनियम 64-71)।

vii. स्वचालित रेफरल साइकल का निष्पादन 02.03.2023 से सप्ताह में दो बार, प्रत्येक मंगलवार 11:00 बजे पूर्वाह्न और गुरुवार 12:00 बजे मध्याह्न।

viii. आरआई/एनआरआई/ओसीआई भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए 7 दिन' टैब का निष्पादन स्वचालित रूप से सप्ताह में दो बार प्रत्येक सोमवार और बुधवार को शाम 04:00 बजे होता है।

ix. ऐसे भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को एक सामान्य बच्चे के दत्तक-ग्रहण की अनुमति न देना जिनके पहले से ही दो बच्चे हैं [विनियम5(7)]

3.4.5 पंजीकृत हितधारक :

लगभग 489 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए), 734 जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू), 34 राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (एसएआरए), 735 जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और 581 मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) केयरिंग्स पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इसके अलावा, अंतर-देशीय हितधारक यानी 65 प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों/ (एएफएए), 44 केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और 21 भारतीय राजनयिक मिशन (आईडीएम) कारा से जुड़े हुए हैं।

केयरिंग्स के लिए वर्चुअल और फिजिकल प्रशिक्षण विकास मोड के साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए हैं।

3.4.6 प्रशिक्षण और विकास गतिविधियां :

जैसा कि पिछले अनुछेदों में वर्णित है, दत्तक-ग्रहण के कानूनी ढांचे में पिछले वर्ष के दौरान बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दत्तक-ग्रहण प्रणाली के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नवीनतम परिवर्तनों और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए, लगातार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम से अधिकतम हितधारकों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भौतिक और आभासी दोनों तरह से आयोजित किए गए थे। विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रशिक्षण (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा कारा और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के सहयोग से जेजे संशोधन अधिनियम 2021 और नियम 2022, और दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है।

3.4.7 प्रशिक्षण का सारांश

क्रमांक	प्रशिक्षण	पूरी की गई गतिविधियाँ
i.	राज्य अभिविन्यास प्रशिक्षण	10
ii.	वर्चुअल प्रशिक्षण	i. सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के साथ नये दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 की मुख्य विशेषताओं पर वेबिनार ii. क्षेत्रवार अभिविन्यास कार्यक्रम और दत्तक-ग्रहण विनियमों पर प्रसार 2022
iii.	अन्य राज्य सरकार, निपसिड और आंतरिक प्रशिक्षण के सहयोग से	10

i राज्य अभिविन्यास (प्रतक्षप्रशिक्षण)

क्रमांक	राज्य	तिथि
1	पुणे, महाराष्ट्र	18/10/2022 एवं 19/10/2022
2	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	21/10/2022 एवं 22/10/2022
3	रायपुर, छत्तीसगढ़	25/11/2022
4	तिरुवनंतपुरम, केरल	25/11/2022
5	पुदुचेरी	02/12/2022
6	जम्मू, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	19/12/2022
7	पटना, बिहार	27/01/2023
8	गुवाहाटी, असम	02/03/2023
9	आइजोल, मिजोरम	10/03/2023
10	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	10/03/2023 एवं 11/03/2023

MWCD, NIPCCD, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रशिक्षण और आंतरिक प्रशिक्षण

क्र० सं०	विवरण	सहयोग संगठन	प्रकार	तिथि
1.	जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम (डीएम/एडीएम के लिए)	सारा असम	ऑफलाइन	31/05/2022
2.	दत्तक-ग्रहण सम्मेलन (विशेष आयोग)1993-दत्तक-ग्रहण सम्मेलन के व्यावहारिक संचालन पर	एचसीसीएच	ऑनलाइन	08/07/2022
3.	पालन देखरेल मॉड्यूल विकसित करने पर सलाहकार बैठक (SARA दिल्ली के साथ)	कारा	ऑफलाइन	13/07/2022
4.	डॉ नीलिमा मेहता द्वारा टेली काउंसलर और-CARA अधिकारियों के लिए दत्तक-ग्रहण की नैतिकता पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम	कारा	ऑफलाइन	25/07/2022
5.	माननीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा वेबिनार	एमडब्लूसीडी	ऑनलाइन	18/08/2022
6.	सभी राज्यों केंद्र /शासित प्रदेशों के हितधारकों के साथ नए दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 की मुख्य विशेषताओ पर वेबिनार	कारा	ऑनलाइन	02/09/2022
7.	दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 पर क्षेत्रवार उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रसार (कुल 20 सत्र)	कारा	ऑनलाइन	06/09/2022 से 19/09/2022 तक (कुल 20 सत्र)

8.	जिलाधिकारियों एडीएम/सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू के लिए जेजे संशोधन अधिनियम 2021 और नियम 2022, और दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 पर क्षेत्रीय परामर्श	निपसिड मुख्यालय	ऑनलाइन	20/09/2022 से 30/09/2022 तक
9.	शिलांग, मेघालय में मिशन वात्सल्य, जेजे संशोधन अधिनियम 2021,जेजे मॉडल नियम 2022 और दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 पर कार्यशाला	कारा, निपसिड मुख्यालय और मेघालय सरकार	ऑफलाइन	7/10/2022
10.	हरियाणा प्रशासनिक संस्थान गुरुग्राम, हरियाणा में जिला बाल संरक्षक अधिकारीयों के लिए दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	गुरुग्राम, हरियाणा	ऑफलाइन	21/10/2022
11.	जेजे अधिनियम और दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 में हाल के संशोधनों पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम	निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली	ऑफलाइन	15/11/2022
12.	बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) के पदाधिकारियों के लिए जेजे ऐक्ट , नियम और विनियम पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम	निपसेड मुख्यालय	ऑफलाइन	24/11/2022
13.	जेजे अधिनियम, दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 और राज्य/ ज़िला स्तर पदाधिकारियों के लिए मिशन वात्सल्य में हाल के संशोधनों पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम	निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली	ऑफलाइन	29/11/2022
14.	दत्तक-ग्रहण करने वाले परिवारों और दत्तक-ग्रहण के इच्छुक **भावी दत्तक माता-पिता (PAPs)** की बैठक	पश्चिम बंगाल सारा	ऑफलाइन	17/12/2022
15.	बाल कल्याण समिति के सदस्यों, डीसीपीयू और एसएए के पदाधिकारियों के लिए वैध दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने पर जागरूकता कार्यक्रम	निपसिड मुख्यालय	ऑफलाइन	26/12/2022-27/12/2022
16.	लेह और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश (UT) के नव नियुक्त अध्यक्षों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण	निपसिड मुख्यालय	ऑफलाइन	03/01/2023-04/01/2023
17.	मिशन वात्सल्य के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्यों केंद्र/ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रिक्रियाओं पर बैठक	निपसिड मुख्यालय	ऑफलाइन	01/02/2023-02/02/2023

18.	भुवनेश्वर, ओडिशा में नव नियुक्त अध्यक्षों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण	भुवनेश्वर, ओडिशा	ऑफलाइन	06/02/2023
19.	दो बैचों में नव नियुक्त अध्यक्षों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण; [पहला बैच 30 जनवरी -11 फरवरी, 2023]	निपसिड गुवाहाटी	ऑनलाइन	06/02/2023
20.	किशोर न्याय अधिनियम (संशोधन), 2021, मॉडल नियम, 2022 और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 पर विभागीय स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम	महिला और बाल विकास विभाग, रियाणा, फरीदाबाद	ऑफलाइन	20/02/2023
21.	किशोर न्याय अधिनियम (संशोधन), 2021, मॉडल नियम, 2022 और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 पर विभाग स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम	महिला और बाल विकास विभाग, हरियाणा, गुड़गांव	ऑफलाइन	21/02/2023
22.	नए दत्तक-ग्रहण विनियमों पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम	मध्य प्रदेश	ऑफलाइन	16/03/2023-17/03/2023
23.	दो बैचों में नव नियुक्त अध्यक्षों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण; [दूसरा बैच 13 मार्च -25 मार्च, 2023]	निपसिड गुवाहाटी	ऑनलाइन	20/03/2023
24.	दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022-त्रिपुरा पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	राज्य प्रायोजित	ऑनलाइन	29/03/2023

जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) के जम्मू में नए दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया।

नए दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम गुवाहाटी, असम में 2 मार्च 2023 को आयोजित किया गया।

नए दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, आइजल, मिजोरम में 10 मार्च 2023 को आयोजित किया गया।

10 और 11 मार्च 2023 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नए दत्तक-ग्रहण नियम, 2022 पर राज्य अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

16 और 17 मार्च 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में नए दत्तक-ग्रहण नियम, 2022 पर ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

3.6 दौरे/निरीक्षण:

विशेष दत्तक अभिकरणों का नियमित दौरा और निरीक्षण व बाल कल्याण समितियों के साथ बैठकें पिछले वर्षों की तरह ही CARA अधिकारियों द्वारा निष्पादित की गईं। हालांकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठकें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बातचीत इस साल के दौरे की मुख्य विशेषताएं रही हैं। इन बैठकों के माध्यम से, राज्य के मुद्दों को अधिक आसानी से संबोधित किया जा सकता था। दत्तक-ग्रहण के लिए योग्य बच्चों को समयबद्ध तरीके से दत्तक के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने के लिए बाल कल्याण समितियों के कामकाज की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई। दौरे की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

क्रमांक	तारीख	अभिकरण	राज्य
1.	01/06/2022	शांति सेवा आश्रम	तिनसुकिया, असम
2.	02/06/2022 एवं 03/06/2022	करुणा एन.एम.ओ.एवं सहयोग विलेज	रांची, झारखंड
3.	31/10/2022 एवं 01/11/2022	वॉर्न बेबी फोल्ड	बरेली, उत्तर प्रदेश
4.	22/11/2022	सेंट कैथरीन होम	मुंबई, महाराष्ट्र
5.	26/11/2022	केरल राज्य बाल कल्याण परिषद	तिरुवनंतपुरम, केरल
6.	29/11/2022	उड़ान सामाजिक कल्याण विकास संगठन भोपाल	भोपाल, मध्य प्रदेश
7.	29/11/2022	सेवा भारती मातृछाया इंदौर	भोपाल, मध्य प्रदेश
8.	03/12/2022	क्लूनी चिल्ड्रन होम	पुडुचेरी
9.	08/12/2022	सुभद्रा महताब सेवा सदन	जिला खुर्दा, उड़ीसा
10.	09/12/2022	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	जिला पुरी, उड़ीसा
11.	06/01/2023	मिशनरीज ऑफ चैरिटी	जालंधर, पंजाब
12.	06/01/2023	भाई घनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड), यूनिक होम	जालंधर, पंजाब
13.	25/01/2023	सेवा भारती मातृ छाया, पहाड़गंज	पहाड़गंज, दिल्ली
14.	03/02/2023 एवं 04/02/2023	एशियन सहयोगी संस्था इंडिया	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

15.	7/2/2023	रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय, भागलपुर और सीडब्ल्यूसी भागलपुर के साथ बैठक	भागलपुर, बिहार
16.	13/02/2023	तीन जिलों ठाणे, मुंबई और मुंबई उपनगर के सीडब्ल्यूसी की समीक्षा बैठक	मुंबई, ठाणे, मुंबई उपनगर- महाराष्ट्र
17.	23/02/2023	नारी निकेतन	जालंधर, पंजाब
18.	24/02/2023	भाई घनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड), यूनिक होम सीडब्ल्यूसी सदस्यों, डीएम, डीसीपीयू के साथ बैठक	जालंधर, पंजाब
19.	01/03/2023	भारतीय बाल कल्याण परिषद (शिशुग्रह) और मैत्री मंदिर	कामरूप मेट्रो, असम
20.	01/03/2023	बाल आशा ट्रस्ट	मुंबई, महाराष्ट्र
21.	03/03/2023	एन.डब्ल्यू.बी. बालकाश्रम	सोलापुर, महाराष्ट्र
22.	10/03/2023	बच्चों के लिए सनशाइन सोसायटी	आइजोल, मिजोरम
23.	21/03/2023	राजकीय बालगृह, डीसीपीयू प्रयागराज	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
24.	28/03/2023	अमूल्य (जी) शिशुगृह, मातृछाया, मेसर्स कैनरा बैंक राहत एवं कल्याण सोसाइटी, अमृत शिशु निवास	बेंगलुरु, कर्नाटक
25.	29/03/2023	सेंट माइकल्स होम, शिशु मंदिर	बेंगलुरु, कर्नाटक

24 फरवरी, 2023 को डिप्टी कमिश्नर, जालंधर के साथ बैठक।

28 फरवरी, 2022 को जिलाधिकारी, बरेली के साथ बैठक।

03 फरवरी, 2023 को सहायक जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के साथ बैठक।

04 फरवरी, 2023 को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के साथ बैठक।

3.7 दत्तक-ग्रहण जागरूकता माह 2022 और माता-पिता की बैठक:

हर साल नवंबर का महीना दत्तक-ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2022 का विषय, 'कानूनी दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना' निर्धारित किया गया था। इस महीने के दौरान, कारा ने कानूनी दत्तक-ग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल की। पिछले वर्ष की तरह, कारा ने संभावित माता-पिता और दत्तक माता-पिता को एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए दत्तक परिवारों और संभावित दत्तक परिवारों की बैठक का आयोजन किया। वर्ष 2022 में आयोजित की गई सभी ऐसी बैठकों की एक सूची नीचे दी गई है:

क्रमांक	दिनांक	राज्य
1	19/11/2022	बेंगलुरु, कर्नाटक
2	20/11/2022	मुंबई, महाराष्ट्र
3	25/11/2022	दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव
4	26/11/2022	रायपुर, छत्तीसगढ़
5	26/11/2022	तिरुवनंतपुरम, केरल
6	26/11/2022	गुंटूर, आंध्र प्रदेश
7	30/11/2022	भोपाल, मध्य प्रदेश

तिरुवनंतपुरम, केरल में 26 नवंबर, 2022 को दत्तक और संभावित दत्तक माता-पिता की बैठक और कानूनी दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित की गई।

मुंबई, महाराष्ट्र में 20 नवंबर, 2022 को दत्तक माता-पिता और भावी दत्तक माता-पिता की बैठक हुई।

3.8 हिंदी पखवाड़ा 2022 :

हिंदी पखवाड़ा 15 से 30सितंबर, 2022 तक आयोजित किया गया। 'हिंदी पखवाड़ा 2022' के दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिंदी सामान्य ज्ञान एवं राजभाषा व्यवहार प्रतियोगिता, हिंदी स्लोगन लेखन, हिंदी टिप्पणी लेखन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

3.9 संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा निरीक्षण:

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के गजटेड ऑफिसर्स मेस, सिविल लाइंस, दिल्ली में 24.08.2022 को संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति ने कारा के प्रदर्शन को संतोषजनक पाया।

24.08.2022 को संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति की बैठक ।

3.10 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 के दौरान कारा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शपथ भी ली।

3.11 स्वच्छता पखवाड़ा 2022 :

कारा परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कारा में 1-15 मार्च, 2023 तक पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कारा के सभी परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कारा के आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता, सभी कर्मचारियों के बीच स्वच्छता पर वाद-विवाद, कार्यालय में निरीक्षण और आपसी संवाद, स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कारा में बतौर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कारा परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन ।

4
अध्याय

वैधानिक अनुपालन

4.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अनुपालन

4.1.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, कारा को कुल 312 ऑनलाइन / ऑफ़लाइन आरटीआई आवेदन (सीधे / स्थानांतरित मामले) प्राप्त हुए। 312 आरटीआई आवेदनों में से, कारा के CPIOs ने 293 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया या निष्पादित किया (निपटाया / स्थानांतरित - जिसमें कारा द्वारा स्थानांतरित आरटीआई भी शामिल हैं)

4.1.2 कारा को कुल 20 ऑनलाइन / ऑफ़लाइन प्रथम अपीलीय आरटीआई आवेदन भी प्राप्त हुए। प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (प्रशासन और कार्यक्रम) ने वर्ष 2022-23 के दौरान समय सीमा के भीतर सभी 20 आवेदनों का निपटारा किया।

4.1.3 आरटीआई आवेदनों प्रथम अपीलीय आवेदनों का तिमाही विवरण निम्नलिखित है:

आरटीआई आवेदन:

तिमाही	प्राप्त ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई आवेदनों (प्रत्यक्ष / स्थांतरित मामलों) की सँख्या	निपटाए गए स्थानांतरित ऑफ़लाइन/ऑनलाइन/ आरटीआई आवेदनों की संख्या	अगली तिमाही में बढ़ाए गए लंबित ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन आरटीआई आवेदनों की संख्या
1	100*	89	11
2	100	85	26
3	64	75	15
4	48	44	19
कुल	**312**	**293**	-

*पिछले वर्ष की पिछली तिमाही के 22 लंबित आरटीआई।

आरटीआई पहली अपील आवेदन:

तिमाही	प्राप्त ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई (प्रत्यक्ष / स्थांतरित मामलों) की प्रथम अपील आवेदनों की संख्या	निपटाए गए/ स्थानांतरित ऑफ़लाइन/ऑनलाइन आरटीआई प्रथम अपील आवेदनों की संख्या	अगली तिमाही में ले जाए गए लंबित ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन आरटीआई प्रथम अपील आवेदनों की संख्या
1	07	06	0
2	06	07	0
3	04	04	0
4	03	03	0
कुल	**20**	**20**	-

4.2 शिकायत प्रबंधन

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण:

शिकायत/पूछताछ का प्रकार	प्राप्त शिकायतों/ पूछताछ की कुल संख्या	उत्तर दी गई शिकायतों/ पूछताछ की कुल संख्या
PMO PG/CP GRAM	67	69*
शिकायत अपील	5489	5472

*इस अवधि के दौरान पहले से प्राप्त 2 पीएमओ पीजी का निस्तारण किया गया।

4.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत पर जानकारी

समिति को कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

4.4 कार्यस्थल पर दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित जानकारी

समिति को इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

5 अध्याय

आंकड़ा-आधार

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान दत्तक-ग्रहण के आंकड़े (समेकित):

दत्तक-ग्रहण	2020-2021	2021-2022	2022-2023
देशीय	3142	2991	3010
अंतर-देशीय	417	414	431

5.2 दत्तक-ग्रहण (देश के अंदर और देश के बाहर) वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य-वार और लिंग-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	देशीय			अंतर-देशीय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	39	50	89	3	7	10
3	अरुणाचल प्रदेश	4	3	7	1	0	1
4	असम	40	47	87	3	3	6
5	बिहार	40	71	111	4	14	18
6	चंडीगढ़	1	7	8	2	0	2
7	छत्तीसगढ	43	44	87	7	2	9
8	दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	0	1	0	0	0
9	दिल्ली	27	49	76	6	12	18
10	गोवा	5	5	10	0	1	1
11	गुजरात	38	52	90	9	9	18
12	हरियाणा	16	35	51	4	7	11
13	हिमाचल प्रदेश	2	5	7	0	0	0
14	जम्मू कश्मीर	3	2	5	0	0	0
15	झारखंड	37	45	82	4	5	9
16	कर्नाटक	78	110	188	20	15	35
17	केरल	58	43	101	8	5	13

18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	70	69	139	5	3	8
21	महाराष्ट्र	232	250	482	38	44	82
22	मणिपुर	4	0	4	0	0	0
23	मेघालय	13	20	33	0	0	0
24	मिजोरम	17	19	36	0	1	1
25	नगालैंड	2	5	7	1	2	3
26	ओडिशा	73	90	163	9	16	25
27	पुद्दुचेरी	7	3	10	0	0	0
28	पंजाब	08	34	42	11	19	30
29	राजस्थान	47	56	103	7	9	16
30	सिक्किम	21	23	44	0	0	0
31	तमिलनाडु	146	197	343	13	16	29
32	तेलंगाना	60	129	189	17	19	36
33	त्रिपुरा	4	6	10	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	70	139	209	3	13	16
35	उत्तराखंड	13	17	30	1	4	5
36	पश्चिम बंगाल	67	98	165	11	18	29
	कुल	**1286**	**1724**	**3010**	**187**	**244**	**431**

5.3 वर्ष 2022-2023 के लिए देश-वार और लिंग-वार ओएएस बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) (ओसीआई + विदेशी) द्वारा दत्तक-ग्रहण का विवरण:

क्र.सं.	देश	पुरुष	महिला	कुल
1.	ऑस्ट्रेलिया	1	1	2
2.	कनाडा	7	10	17
3.	डेनमार्क	1	0	1
4.	फिनलैंड	6	2	8
5.	फ्रांस	0	4	4

6.	आयरलैंड	1	0	1
7.	इटली	61	39	100
8.	माल्टा	10	11	21
9.	मॉरीशस	2	1	3
10.	न्यूजीलैंड	0	2	2
11.	दक्षिण अफ्रीका	0	1	1
12.	स्पेन	12	17	29
13.	स्वीडन	2	3	5
14.	यू.के.	5	4	9
15.	संयुक्त अरब अमीरात	2	0	2
16.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	54	110	164
	कुल	**164**	**205**	**369**

5.4 देश के अंदर दत्तक-ग्रहण का श्रेणी-वार विवरण:

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित दत्तक-ग्रहण	रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण	सौतेला परिवार में दत्तक-ग्रहण
3204	182	39

5.5 देश के बाहर दत्तक-ग्रहण का श्रेणी-वार विवरण:

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित दत्तक-ग्रहण	रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण
369	14

5.6 देश के अंदर रिश्तेदारी और सौतेले परिवार में दत्तक-ग्रहण के मामलों में पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी किए गए (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पत्रों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	03
2.	आंध्र प्रदेश	04
3.	दिल्ली	12
4.	गोवा	01
5.	गुजरात	04
6.	हरियाणा	03
7.	कर्नाटक	01
8.	मध्य प्रदेश	12
9.	महाराष्ट्र	74
10.	पंजाब	03

11.	राजस्थान	02
12.	तमिलनाडु	03
13.	तेलंगाना	09
14.	उत्तर प्रदेश	04
15.	पश्चिम बंगाल	01
	कुल	**136**

5.7 देश के अंदर रिश्तेदारी और सौतेले परिवार में दत्तक-ग्रहण के मामलों में पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी किए गए (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पत्रों की संख्या
1.	चंडीगढ़	01
2.	आंध्र प्रदेश	02
3.	तेलंगाना	04
4.	महाराष्ट्र	01
5.	पंजाब	01
6.	केरल	01
	कुल	**10**

5.8 देश के बाहर दत्तक-ग्रहण के मामलों की जांच (2022-2023)

जांच और अनुमोदित आवेदनों की संख्या	320
जांच के लिए अनुमोदित नहीं किए गए आवेदनों की संख्या	08

5.9 देश के भीतर गृह अध्ययन के मामले (2022-2023)

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कुल 8031 गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें नई गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ-साथ पुन: मान्य घर अध्ययन रिपोर्ट भी शामिल हैं।

6
अध्याय

परिशिष्ट

परिशिष्ट - क

केयरिंग्स पर पंजीकृत जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU) की राज्य-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत DCPU की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	22
4.	असम	31
5.	बिहार	38
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ	28
8.	दिल्ली	10
9.	गोवा	2
10.	गुजरात	33
11.	हरियाणा	22
12.	हिमाचल प्रदेश	12
13.	जम्मू और कश्मीर	20
14.	झारखंड	24
15.	कर्नाटक	30
16.	केरल	14
17.	लद्दाख	0

18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	53
20.	महाराष्ट्र	74
21.	मणिपुर	9
22.	मेघालय	11
23.	मिजोरम	11
24.	नगालैंड	11
25.	ओडिशा	30
26.	पुदुचेरी	2
27.	पंजाब	23
28.	राजस्थान	36
29.	सिक्किम	4
30.	तमिलनाडु	38
31.	तेलंगाना	33
32.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	3
33.	त्रिपुरा	9
34.	उत्तर प्रदेश	85
35.	उत्तराखंड	11
36.	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	**769**

(स्रोत: **CARINGS**)

परिशिष्ट - ख

केयरिंग्स पर पंजीकृत विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (SAAs) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	(SAAs) की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	20
5.	बिहार	31
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ	13
8.	दिल्ली	12
9.	गोवा	2
10.	गुजरात	16
11.	हरियाणा	7
12.	हिमाचल प्रदेश	1
13.	जम्मू और कश्मीर	12
14.	झारखंड	12
15.	कर्नाटक	38
16.	केरल	19
17.	लद्दाख	1
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	35
20.	महाराष्ट्र	55
21.	मणिपुर	9
22.	मेघालय	6
23.	मिजोरम	6

24.	नागालैंड	4
25.	ओडिशा	34
26.	पुदुचेरी	2
27.	पंजाब	10
28.	राजस्थान	35
29.	सिक्किम	3
30.	तमिलनाडु	26
31.	तेलंगाना	13
32.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	1
33.	त्रिपुरा	9
34.	उत्तर प्रदेश	23
35.	उत्तराखंड	7
36.	पश्चिम बंगाल	30
	कुल	**511**

परिशिष्ट –ग

विदेशी दत्तक-ग्रहण के लिए अधिकृत अभिकरणों (AFAAs)

क्र.सं.	**देश का नाम**	AFAAs **की संख्या**
1.	बेल्जियम	3
2.	कनाडा	3
3.	डेनमार्क	1
4.	फिनलैंड	1
5.	फ्रांस	5
6.	हांगकांग	1
7.	इटली	12
8.	लक्समबर्ग	1
9.	माल्टा	3
10.	न्यूज़ीलैंड	1
11.	स्पेन	4
12.	स्वीडन	2
13.	स्विट्ज़रलैंड	1
14.	यू.के.	1
15.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	10
	कुल	**49**

परिशिष्ट-घ:

कारा/एमडब्लूसीडी द्वारा विभिन्न हितधारकों को जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों और परामर्श पत्रों की प्रतियां

1. बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (MER) की गुणवत्ता।
2. अविवाहित एवं दीर्घकालिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एकल दत्तक-ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता-पिता के मामलों का पंजीकरण।
3. उपयुक्त स्थानों पर विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरणों द्वारा पालना घर के साइन बोर्ड लगाना।
4. जिला मजिस्ट्रेट (DM) को स्थानांतरित किए जाने वाले गोद लेने के मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण।
6. जिला मजिस्ट्रेट (DM), जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और हामा के तहत अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए नए केयरिंग्स आवेदन पर आदेश।
7. रिश्तेदारी/सौतेला बच्चा गोद लेने के मामले में पूर्व-अनुमोदन पत्र का जारी करना।
8. दत्तक-ग्रहण के नियम, 2022 के नियम 39 का कड़ाई से पालन।
9. देश के भीतर रिश्तेदारी/सौतेले बच्चे के दत्तक-ग्रहण के मामलों में अडॉप्शन ऑर्डर अपलोड करना।
10. अस्थायी विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गोद लेना।
11. बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (MER) की गुणवत्ता।
12. दत्तक-ग्रहण के नियम 2022 के नियम 5(7) के अनुसार, दो या अधिक बच्चों वाले भावी दत्तक माता-पिता को केवल नियम 2 के खंड (25) में निर्दिष्ट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और नियम 2 के खंड (13) में बताए गए कठिन-से-स्थित बच्चों के लिए ही माना जाएगा, जब तक कि वे रिश्तेदार या सौतेले बच्चे न हों।

परिशिष्ट-ड़:

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

सं./No. CARA-MISC/61/2022 दिनांक/Date 1/04/2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : बाल अध्ययन प्रतिवेदन (CSR) और चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन की गुणवत्ता

इसका दत्तक ग्रहण विनियमों, 2017 की अनुसूची IV से संदर्भ है, जो बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती बच्चो के लिए आयोजित किए जाने वाले चिकित्सा परीक्षणों को निर्धारित करता है। हालाँकि, प्राधिकरण के संज्ञान में यह आया है कि कई मामलों में विशेष दत्तक ग्रहण संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए बाल अध्ययन प्रतिवेदन (CSR) और चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन (MER) अधूरे, अनियमित और धुंधले हैं।

2. इन खामियों को दूर करने के लिए, देश की सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाओं को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है
   - क विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था के प्रभारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बालक ने दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 की अनुसूची IV में बताई गई सभी उचित परीक्षाएं पूर्ण कर ली है।
   - ख CARINGS पर अपलोड करने से पहले सभी चिकित्सा प्रतिवेदन और सहायक कागजात बच्चे की चिकित्सा जांच प्रतिवेदन (MER) के साथ संलग्न किए जाने चाहिए
   - ग स्कैन किए गए कागज में MER स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। दस्तावेज़ों को संपीड़ित किए बिना अपलोड करने के लिए कुल 2 एमबी पर्याप्त जगह से अधिक है।
   - घ परीक्षार्थी चिकित्सक की मोहर में डॉक्टर का नाम, पदवी और पंजीकरण संख्या तथा संपर्क नंबर अंकित एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
   - ड़ बच्चे की नवीनतम तस्वीर का उपयोग किया जाना चाहिए
   - च जैसे ही बच्चा पीएपी से मेल खाता है, उसे CARINGS पर अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी अन्य प्रतीक्षारत भावी दत्तक माता पिता (PAP) के पास न भेजा जाए।

3. उपरोक्त का बिना किसी चूक के पालन किया जाना चाहिए।

(डॉ जगन्नाथ पति)
निदेशक (कार्यक्रम) , कारा

प्रति-

विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAAs)

ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPUs)

राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARAs)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

सं./No. .... दिनांक/Date....................

FileNo.CARAICA013/1/2022Administration Date: 16.06.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ऐसे एकल भावी दत्तक ग्रहण माता-पिता के मामलों का पंजीकरण, जिनके लिव-इन पार्टनर लंबे समय से संबंध में हैं और शादीशुदा नहीं हैं के संबंध में।

गृह अध्ययन प्रतिवेदनों (HSRs) से यह देखा गया है कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण (CARA) के साथ पंजीकृत कुछ एकल भावी दत्तक ग्रहण माता पिता अपने लिव-इन पार्टनर के साथ संबंध में हैं

2. 18 अप्रैल 2022 को आयोजित केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति की 31 वी बैठक के दौरान लिव इन संबंध में रहने वाले एकल लोगों के मामले पर चर्चा की गई। 10 मई 2018 को आयोजित 14 वीं संचालन समिति की बैठक के पहले के निर्णय के साथ जाने का निर्णय लिया गया है कि एक साथी के साथ लिव इन संबंध में एकल भावी दत्तक ग्रहण माता पिता को बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और संबंधित संस्थाओं/प्राधिकरणों से उनके पंजीकरण पर अनुमोदन के लिए विचार नहीं किया जाएगा

3. यह निर्णय दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 5 (3) के अनुरूप लिया गया है। प्राधिकरण चाहेगा कि बच्चो को केवल स्थिर परिवार में ही रखा जाए और लिव इन संबंध में रहने वाले एकल आवेदक को स्थिर परिवार नहीं माना जा सकता है।

4. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट आयोजित करते समय एकल भावी दत्तक ग्रहण माता-पिता (PAP) के लिव-इन संबंध की स्थिति सुनिश्चित करें।

(डॉ जगन्नाथ पति)
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. सभी अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण संस्थाएं (AFAAS)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CAS) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM s) एवं सरकारी विभाग
2. सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाएं (SAAS) / राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SA RAS)/ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPUS)

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
दूरभाष / Ph: +91-011-26180194, 26760300, टोलफ्री / Tollfree: 1800-11-1311, टेलीफैक्स / Telefax: +91-011-26180198
ई–मेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वैबसाइट / Website: www.cara.nic.in
Generated from eOffice by Pramod Kumar, DEO(P)-CARA, DEO, CARA on 15/02/2024 05:23 PM

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

सं./No. CARA-MISC/100/2021 दिनांक/Date: 7th September, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : उचित स्थानों पर विशेष दत्तक ग्रहण संस्थाओं द्वारा पालने के संकेत को स्थापित करना

सभी बच्चे स्वस्थ और संरक्षित वातावरण के हकदार हैं और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। शिशुओं और छोटे बच्चो के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे बच्चो का सुरक्षित परित्याग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सुरक्षा के महत्व से समझौता नहीं किया जा सकता है।

2. सुरक्षित परित्याग से बच्चो को सबसे अधिक लाभ हो सकता है क्योंकि यह नवजात को किसी भी संभावित नुकसान या दुर्व्यवहार से बचाएगा जब बच्चे को अमानवीय तरीके से कचरा, कचरा, झाड़ियों, कूड़ेदान, सड़क के किनारे आदि में फेंक दिया जाता है एवं महिलाओं को उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। जब तक कि मदद नहीं मिलती है, नवजात शिशुओं को अत्यधिक तापमान, बारिश, कीड़े के काटने, चोटों आदि का सामना करना पड़ता है और इससे उनके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ता है।

3. दत्तक ग्रहण नियमों में कहा गया है विशेष दत्तक ग्रहण संस्था को परित्यक्त बालको को प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही स्थापित करना होगा और इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, अल्पावास गृह और महिलाओं के लिए स्वाधार गृहों में पालना शिशु केंद्र स्थापित करना होगा।

4. जैविक माता-पिता/पिताओं को किसी भी बच्चे को सुरक्षित रूप से त्यागने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न स्थानों पर पालने के संकेत अनिवार्य कर दिए जाएंगे। इसे सरकारी तंत्र दद्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि अगर लोग अपने बच्चों को छोड़ना भी चाहें तो वे उन्हें कम से कम ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां उन्हें बुनियादी प्राथमिक देखभाल मिल सके।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाओं को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे बच्चों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाले विभिन्न स्थानों पर जिला अधिकारियों के सहयोग से पालने और पालने के लिए संकेत स्थापित करें। यह संकेत अस्पताल या दवाखाने के संकेत के समान हो सकता है जो दूरी से 24/7 और 365 दिन दिखाई देता है।

हस्ता/०

(तृप्ति गुरहा)

संयुक्त सचिव, एमडबल्यूसीडी एवं सीईओ, कारा

विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाओं

प्रतिः

1. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं
2. जित्राबान संरक्षण संस्थाएं

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
दूरभाष / Ph: +91-011-26180194, 26780300, टोलफ्री / Tollfree: 1800-11-1311, टेलीफैक्स / Telefax: +91-011-26180198
ई–मेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

सं. / No..... दिनांक/ Date.....

File No. CARA-MISC/157/2022 Dated:06/10/2022

विषय : जिलाधिकारी (DM) को हस्तांतरित किए जाने वाले दत्तक ग्रहण के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

दत्तक ग्रहण नियमों, 2022 के नियम 13 के अनुसार, जिलाधिकारी (डीएम) से दत्तक ग्रहण के आदेश को प्राप्त करने के विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हालाँकि, अदालत में लंबित दत्तक ग्रहण के मामलों को संबंधित जिलों के डीएम को हस्तांतरित करने को लेकर हितधारकों के बीच कुछ भ्रम है।

2. सचिव एम.डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा मुख्य सचिवों को दिनांक 12.09.2022 को और आगे संयुक्त सचिव एम.डब्ल्यू.सी.डी. और सी.ई.ओ. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दिनांक 27.09.2022 को जारी पत्र के आधार पर, लंबित दत्तक ग्रहण के मामलों को संभालने के लिए राज्य सरकारों सहित जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हालाँकि, निम्नलिखित स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिया जा सकता है:

a. व्यक्तिगत मामलों में, जहां मामलों को अभी तक अदालत से डीएम को स्थानांतरित किया जाना है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था अदालत से याचिका वापस ले कर जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर सकती है। जहां भी आवश्यक हो, के लिए और डी.सी.पी.यू के एल.पी.ओ. से सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है।

b. एस.ए.ए द्वारा विधिवत भरा हुआ दत्तक ग्रहण का आवेदन प्राप्त होने पर, दत्तक ग्रहण के नियमों, 2022 के अनुसार डी.सी.पी.यू निर्धारित समय के भीतर आवेदन की जांच करेगा।

c. दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने हेतु डी.सी.पी.यू द्वारा जांचा गया दत्तक ग्रहण का आवेदन डीएम को दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

d. जहां भी डीएम के स्तर पर देरी देखी जाए, SARA/CARA को इसके लिए सूचित किया जाए।

(डॉ जगन्नाथ पति)
निदेशक (कार्यक्रम) , कारा

समस्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाएं (SAAS) जिना बाल संरक्षण इकाई (DCPUs) / राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS)

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
दूरभाष/ Ph: +91-011-26180194, टोल फ्री/ Tollfree: 1800-11-1311, टेलीफैक्स / Telefax: +91-011-26180196
ई–मेल/ E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

सं./No. CARA-SC 011/207/2022-Administration

दिनांक/Date 11/10/2022

विषयः विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का वर्गीकरण

दत्तक ग्रहण विनियमों, 2022 जिसे भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था के अनुसार अब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बच्चे को सामान्य या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जिम्मेदार है।

2. दत्तक ग्रहण विनियमों, 2022 के विनियम 37 में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को सौंपे गए कर्तव्यों/जिम्मेदारियों को विस्तार से बताया गया है। अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग-ई) के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को सामान्य या विशिष्ट आवश्यकता वाला घोषित करना होगा एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऐसे बच्चों के उपचार के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

3. इसलिए, शीघ्र विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में उचित वर्गीकरण के लिए विशिष्ट आवश्यकता वाले पोर्टल पर पहले से ही अपलोड किए गए सभी बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन आपके जिले के सी.एम.ओ द्वारा किया जाना चाहिए।

4. सी.सी.आई में रहने वाले जुड़े हुए बच्चों के मामलों में, डी.सी.पी.यू अपने सी.एस.आर, एम.ई.आर और एल.एफ.ए अपलोड करने से पहले ऐसे बच्चों की पहचान के लिए सावधानी बरत सकते हैं। दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की एक प्रति www.cara.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ जगन्नाथ पति)
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

समस्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाएं (SAAS) / CCIS / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPUs) / राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS)

संलग्न प्रतियां:

1. दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची XVIII

2. दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची III

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
दूरभाष/Ph: +91-011-26180194, 26760303, टोलफ्री/Tollfree: 1800-11-1311, टेलीफैक्स/Telefax: +91-011-26180198
ई-मेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: www.cara.nic.in

अनुसूची 18

[विनियम 2 (25), 8 (2), 36(9), 37, 51(4) देखें]

दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और अनुसूची- 3 के भाग ड़के अनुसार उपबंधित की गई अनुसूची के अनुसार माना जाएगा]

1. शारीरिक दिव्यांगता

(अ) **गतिविषयक् दिव्यांगता** सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्व है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है, जिसके अंतर्गत-

(क) "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससें वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है।;

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्व जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कृष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क घात" से कोई गैर-प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) "बौनापन" से कोई चिकित्सय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणास्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से0मी0) या उससे कम रह जाती है;

(घ) "पेशीयदुष्पोषण" से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ड़) "तेजाबी आक्रमण पीड़ित" से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दिष्टगत ह्रास

(क) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोतम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विघमान होती है, -

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव या; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम, या 10/200 (स्नेलन)से कम या; या

(iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्: -

(i) बेहतर ओख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(इ). श्रवण शक्ति का ह्रास-

(क) "बधिर" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "ऊँचा" सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई). "वाक् भाषा दिव्यांगता" से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. "बौद्धिक दिव्यांगता" से एसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोषलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत-

(क) **विनिर्दिष्ट विघा दिव्यांगताओं**" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विघमान होती है जो समझने, बोलने पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी है;

(ख) **स्वपरायणता स्पैक्ट्रस विकार**"से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्ट: जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकाडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार

"मानसिक रूग्णता" से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरण मनोदशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के कलए समग्र रूप् से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने

करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर कर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

(क) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे-

(i) "ब्हु-स्केलेरोसिक" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरें के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) "पार्किंसंस रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिहनकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अघपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है

(ख) रक्त विकृति-

(i) हेमाफीलिया" से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायःपुरूषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे स्त्री द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्त्राव हो सकता है;

(ii) "थेलेसीमिया से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है, हेमोलेटिक लाल रक्त कोशिकाओ की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

4. **बहुदिव्यांगता** (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अधंता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएँ अभिप्रेत है।

5. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

6. अनुसूची 3 (भाग ड़) को घ्यान में रखते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाने वाली संबधित बालक की विशेष आवश्यकताओं की सटीक प्रकृति।

अनुसूची 3

[विनियम 2(16), 2(25), 6(15), 7(18), 8(2), 36(9), 37, 51(4), 61(5)(क) और 61(6)(क) देखें]

बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट और उसकी विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण

[भाग-क को सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स या बालक देखरेख संस्था के अधीक्षक, जैसा भी मामला हो, द्वारा भरा जाए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। यदि बालक की आयु एक वर्ष से कम है तो बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी बालक को अनुसूची 18 और चिकित्सा जांच रिपोर्ट के भाग ङ में उपबंधित विशेष आवश्यकताओं वाला पाया जाता है, तो जांच करने वाले चिकित्सक को मामले को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित करना होगा।]

अभिहित पोर्टल पर बालक की रजिस्ट्रीकरण संख्या:

स्वास्थ्य की स्थिति: सामान्य / विशेष आवश्यकताओं वाले बालक

प्रवेश की तारीख:

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का ताम:

बालक देख रेख संस्था का नाम:

अस्वीकरण –

थैलेसीमिया वाहक और सिकल सेल विशेषक: थैलेसीमिया की वाहक अवस्था वाले बालक लक्षणविहीन होते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया से ग्रस्त अवयस्क बच्चों को शायद ही कभी रक्त आधान की आवश्यकता होती है। सिकल सेल विशेषक बालकों में हेमटोलॉजिकल अप्रसामान्यताएं नहीं होती हैं और आरबीसी की सिकलिंग अधिक ऊंचाई वाले स्थान और कम ऑक्सीजन दबाव के संपर्क में आने पर शायद ही कभी हो सकती है (केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता के आकलन संबंधी दिशानिर्देश, 2018, खंड 29.6 और 37.3)।

उच्च जोखिम वाले शिशु और बालक: जन्म के समय श्वासावरोध, जन्मगत हाइपरबिलीरुबिनमिया, जन्मगत सेप्सिस, हाइपोग्लाइकेमिया, समय-पूर्व प्रसव से जुड़ी जटिलताएं जैसे रेस्पाइरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंट्रावेंट्रिकुलर हीमोरेज आदि जैसी प्रसवकालीन प्रतिकूल अवस्थाओं के इतिवृत्त वाले बालकों में विकासात्मक उपलब्धि-चरण की प्राप्ति में देरी, मिर्गी, न्यूरोमोटर विकृति और व्यवहार संबंधी अप्रसामान्यताएं होने का खतरा रहता है। अतः, इन बालकों को उचित निदान और समग्र प्रबंधन के लिए विस्तृत स्नायु-विकासात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

हेपेटाइटिस बी: विभिन्न होस्ट जीनोम, वायरल स्ट्रेन और होस्ट-वायरल इंटरैक्शन वाले व्यक्तियों के बीच हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण की नैदानिक अवधि भिन्न-भिन्न होती है। एचबीवी दूषण की आयु जितनी पहले होगी, आजीवन संक्रमण के परिणाम की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में एचबीवी संक्रमण में 90% मामले प्रसवकालीन संक्रमण के होते हैं। जीर्ण एचबीवी संक्रमित व्यक्तियों की अवयस्कता (10%) को एचबीएसएजी सेरोकोनवर्जन होगा, और जीर्ण संक्रमित अवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे रोगियों में से अधिकांश सामान्य एलानिन एमिनोट्रांस्फरेज (एएलटी) स्तरों के साथ चिकित्सकीय रूप से लक्षणविहीन हो सकते हैं, लेकिन इनमें उच्च वायरल लोड और एचबीईएजी की उपस्थिति होती है। अधिकांश रोगियों में, एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन अपने एंटीबॉडी (एंटी-एचबीई) के लिए किशोर अवस्था के दौरान या बाद में होता है, जो सक्रिय वायरल प्रतिकृति और हेपेटाइटिस एक्टविटी में कमी का संकेत देता है। निरंतर उच्च विरेमिया के साथ विलंबित एचबीईएपीजी सेरोकोनवर्जन, जीवन के 4 दशक के बाद लीवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विकसित होने का एक उच्च जोखिम को इंगित करता है। जीर्ण एचबीवी से संक्रमित 10-25% वयस्कों को एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन के बाद एचबीईएजी नकारात्मक हेपेटाइटिस हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जो देर से एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन का अनुभव करते हैं और जिनमें लीवर सिरोसिस और एचसीसी का वृद्धिशील आजीवन जोखिम होता हैं।

हेपेटाइटिस सी: हालांकि शैशवावस्था के दौरान हुए एचसीवी संक्रमण के एक वयस्क के रूप में हुए संक्रमण की तुलना में तत्काल ठीक होने की अधिक संभावना होती है, फिर भी लगभग 80% व्यक्ति कालानुक्रमिक रूप से संक्रमित रहते हैं। जो बालक एक वर्ष की आयु के दौरान और बाद में एचसीवी आरएनए पीसीआर से संक्रमित रहे, उनके स्वास्थ्यलाभ की संभावना कम थी। जीर्ण एचसीवी वाले वयस्कों की तरह, बाल रोगियों में यकृत की फाइब्रोसिस आयु के साथ बढ़ने लगती है, जो धीरे-धीरे वृद्धिशील हिस्टोलॉजिक क्षति का संकेत देती है। बाल्यावस्था में सिरोसिस की प्रगति अत्यंत बहुत ही नाममात्र होती है।

एचआईवी: एचआईवी के जोखिम वाले सभी शिशुओं को ड्राइड ब्लड स्पॉट (डीबीएस) में एचआईवी डीएनए पीसीआर कराना चाहिए। यदि डीबीएस एचआईवी के लिए सकारात्मक है, तो पूरे रक्त का परीक्षण किया जाना चाहिए। छह से अठारह माह की आयु के बालकों में, एलिसा द्वारा एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण के बाद एचआईवी के लिए डीबीएस परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि पॉजीटिव पाया जाता है, तो सम्पूर्ण रक्त में डीएनए पीसीआर किया जाना चाहिए और अट्ठारह माह के बाद पुष्टि के लिए एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण कराया जाना चाहिए (नाको दिशानिर्देश, 2-16)।

<u>भाग क. साधारण जानकारी</u>

[भाग 'क' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें]

1. बालक का नाम:
2. लिंग:
3. जन्म की तारीख:
4. जन्म-स्थान:

5. राष्ट्रीयता:
6. वर्तमान संस्था का नाम: कब से इस संस्था में है:
7. जन्म के समय भार (किलोग्राम):
8. वर्तमान भार (किलोग्राम):
9. सिर की परिधि (सेंटीमीटर):
10. सिर की वर्तमान परिधि (सेंटीमीटर):
11. जन्म के समय लंबाई (सेंटीमीटर):
12. वर्तमान में लंबाई (सेंटीमीटर):
13. क्या गर्भावस्था और प्रसव सामान्य थे?
14. एपीजीएआर स्कोर, यदि लागू हो:
15. न्यूरोइमेजिंग संलग्न है या नहीं:
16. प्रवेश से पहले बालक कहाँ रहा है?

क.	अपनी माँ के पास:	से	तक
ख.	नातेदारों के पास:	से	तक
ग.	निजी देखरेख में:	से	तक
घ.	संस्था या अस्पताल में:	से	तक

(कृपया संबंधित संस्था या संस्थाओं के नाम आगे दर्शाएं)

टिप्पण: नवजात बालकों की दशा में, **अनुसूची 4** में यथाउपबंधित विभिन्न आयु वर्गों के लिए चिकित्सा जाँच देखें।

सामाजिक कार्यकर्ता अथवा परामर्शदाता अथवा
विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स अथवा
बालक देख रेख संस्था का अधीक्षक
[स्टॉफ का नाम और पदनाम,
हस्ताक्षर और तारीख]

<u>भाग ख. चिकित्सा ब्यौरा</u>

[भाग 'ख' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। यदि बालक की आयु 1 वर्ष से कम हो, तो बालक की जांच बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। विनियमों की अनुसूची 4 में यथा उपबंधित विभिन्न आयु समूहों के लिए चिकित्सा जांच अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए]

1. क्या अतीत में बालक को कोई रोग हुआ है? (हाँ या नहीं या अज्ञात)

क) रोग का नाम:

ख) निदान के समय बालक की आयु (माह):

ग) अभ्युक्तियां (कोई जटिलताएं):

2. क्या बालक को निम्नलिखित रोग से बचाव के टीके लगाए गए हैं?
हाँ या नहीं या अज्ञात

टीकाकरण के ब्यौरे:

तपेदिक (बी.सी.जी.)	टीका लगने की तारीख:
डिप्थीरिया	टीका लगने की तारीख:
टिटनेस	टीका लगने की तारीख:
खों-खों कर खाँसना (वूफींग कफ)	टीका लगने की तारीख:
पोलियो	दवा पिलाने की तारीख:
हैपेटाइटिस ए	टीका लगने की तारीख:
हैपेटाइटिस बी	टीका लगने की तारीख:
एमएमआर (खसरा)	टीका लगने की तारीख:

3. बालक के मानसिक विकास, व्यवहार और कौशलों का विवरण दें (यदि संभव हो)।

(i) दृष्टि	बालक कब निश्चित करने में समर्थ हुआ?
(ii) श्रवण संबंधी	बालक कब आवाज सुनकर अपना सिर घुमाने में समर्थ हुआ?
(iii) शारीरिक	बालक कब अपने-आप बैठने में समर्थ हुआ?
	बालक कब सहारा लेकर खड़ा होने में समर्थ हुआ?
	बालक बिना सहारा लिए कब चला?
(iv) भाषा	बालक ने अस्पष्ट तरीके से बोलना कब शुरू किया?
	बालक ने एक-एक शब्द बोलने कब शुरू किए?
	बालक ने वाक्य बोलने कब शुरू किए?
(v) संपर्क	बालक ने मुस्कराना कब शुरू किया?
	बालक वयस्कों और अन्य बालकों से के साथ कैसे संवाद करता है?
	बालक अजनबियों को देखकर किस प्रकार व्यवहार करता है?
(vi) भावात्मक	बालक अपनी भावनाएं (क्रोध, बेचैनी, निराशा, प्रसन्नता) किस प्रकार दर्शाता है?

भाग ग - चिकित्सा परीक्षा का ब्यौरा:

[भाग 'ग' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें।

1. चिकित्सा जांच की तारीख
2. बालों का रंग:
3. आखों का रंग:
4. त्वचा का रंग:
5. बालक की पूर्ण नैदानिक जांच के आधार पर मैंने रोग, विकृति या अप्रसामान्यताओं के निम्नलिखित साक्ष्य पाए हैं (यदि लागू हो):
   क) सिर (खोपड़ी का आकार, हाइड्रोसेफलस; क्रैनियोटेब्स; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
   ख) मुँह और ग्रसनी (हेअरलिप या क्लैफ्ट पेलेट, दाँत; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
   ग) आँखें (दृष्टि, भैंगापन, संक्रमण; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
   घ) कान (संक्रमण, बहना, कम श्रवण-शक्ति, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
   ङ) श्रवण श्रमता जांच – निम्नलिखितम में से कम-से-कम एक जांच अनिवार्य है:
      क. ओटोकोउस्टिक एमीशन (ओएई):
      ख. ब्रेनस्टेम इवोक्ड रेस्पांस ओडियोमीट्री (बीईआरए):

   च) चेहरे की कोई विकृति? यदि हां, तो विवरण दें
   छ) छाती के अंग (हृदय, फेफड़े, कोई अन्य, कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ज) लिम्फेटिक ग्लैंड (ऐडेनाइटिस, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   झ) उदर (हर्निया, यकृत, स्पलीन, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ञ) जननांग (हाइपोस्पैडिया, अंडकोष अवरोधन, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ट) स्नायुविकास-संबंधी विकार (मेनिनजाइटिस; एंसेफेलाइटिस; मिर्गी; प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी); कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ठ) रीढ़ (काइफोसिस, स्कोलियोसिस, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ड) एक्सट्रीमिटी (पेस एक्रिनस, बैल्गस, वेरस, पेस कैल्केनियोवेरस, फ्लेक्सेशन ऑफ हिप, स्पैस्टिसिटी, पेरेसिस; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ढ) त्वचा (एक्ज़िमा, संक्रमण, परजीबी; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
   ण) अन्य रोग:

6. परीक्षण

(क) तपेदिक के कोई लक्षण?

तपेदिक के परीक्षण के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(ख) हेपेटाइटिस बी के कोई लक्षण?

एचबीएस एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एंटी-एचबी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एचबीई एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एंटी-एचबीई के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(ग) सिफिलिस के कोई लक्षण हैं?

सिफिलिस के रिएक्शन के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या रिएक्शन नहीं किया गया

वीडीआरएल टेस्ट का परिणाम:

टिप्पणी:

(घ) पीलिया या रक्ताधान का कोई पिछला रिकोर्ड?

एचबीएसएजी की जांच का परिणाम (तारीख और वर्ष)?

यदि पॉजीटिव है, क्या विशेषज्ञ से परामर्श किया गया (हां/नहीं, तारीख और वर्ष); और कोई आगे जांच कराई गई / उपचार कराया गया (दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें)

7. अनिवार्य परीक्षण अथवा मूल्यांकन रिपोर्टें (विनियमों की अनुसूची 4 में उपबंधित)। यदि इनमें से कोई जांच परीक्षण अप्रसामान्य हैं, तो अतिरिक्त पुष्टिकरण परीक्षण और विशेषज्ञ की राय अनिवार्य होगी।

(क) एचआईवी

(ख) क्या मूत्र में:

(i) शर्करा?

(ii) एल्ब्यूमेन?

(iii) फेनिल्कीटोन है?

(ग) मल (अतिसार, कब्ज):

परजीवियों का परीक्षण: सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(घ) क्या बालक में कोई विकासात्मक देरी या अंसगतियां या स्नायु-व्यावहरात्मक या स्नायु-विकासात्मक विकार हैं?

(ङ) बालक की विकासात्मक स्थिति और दिन-प्रतिदिन की जीवन-यापन गतिविधियों का विवरण दें।

(च) कोई और टिप्पणियां?

टिप्पण:

एक वर्ष से तीन वर्ष और तीन वर्ष से अधिक की आयु के लिए अनुसूची 4 में यथाउपबंधित चिकित्सा जांच देखें।

<u>भाग घ. विकासात्मक उपलब्धियों का ब्यौरा</u>

[भाग 'घ' को विधिवत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। जहाँ कहीं अपेक्षित हो, वहाँ विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक, स्पीच थेरपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ली जाए]

कृपया प्रत्येक शीर्ष पर निर्णय दें:-

1. खिलौनों के साथ कार्यकलाप (आयोनुकूल यथा लागू):
   - क) बालक की नज़र अपने सामने चलते फिरते झुनझुनों या खिलौनों का पीछा करती है।
   - ख) बालक किसी झुनझुने को पकड़ता है।
   - ग) बालक झुनझुनों से खेलता है(उसे अपने मुँह में डालता है, हिलाता है, एक से दूसरे हाथ में लेता है, आदि)।
   - घ) बालक क्यूबों को एक दूसरे के ऊपर रखता है।
   - ङ) बालक प्रयोजन के ढंग से खिलौनों से खेलता है (कारों को धकेलता है, गुड़ियाओं को बिस्तर पर रखता है, गुड़ियाओं को खिलाता-पिलाता है, आदि)।
   - च) बालक खिलौनों और अन्य बालकों के साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है।
   - छ) बालक मानवों और पशुओं के चेहरों की स्पष्ट आकृतियाँ बनाता है।
   - ज) बालक अन्य बालकों के साथ व्यवस्थित खेल (गेंद वाले खेल, कार्ड वाले खेल आदि) खेलता है।
2. उच्चारण या भाषा विकास (आयोनुकूल यथा लागू):
   - क) बालक देखरेखकर्ता के साथ बातें करता है।
   - ख) बालक विभिन्न स्वर-व्यंजनों को दोहराता है (बा-बा, दा-दा, मा-मा आदि)।
   - ग) बालक अपनी आवश्यकताओं के संचार के लिए एक-एक शब्द का उपयोग करता है।
   - घ) बालक वाक्य बोलता है।
   - ङ) बालक पूर्वसर्ग को समझता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि।
   - च) बालक पूर्वसर्ग का प्रयोग करता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि।
   - छ) बालक भूतकाल में बात करता है।
   - ज) बालक अपना नाम लिख लेता है।
   - झ) बालक सरल शब्द पढ़ लेता है।

ञ) बालक एक ही शब्द या वाक्यांश को बार-बार दोहराता है।

ट) कोई अन्य प्रेक्षण।

3. शारीरिक विकास (आयोनुकूल यथा लागू):

क) किस आयु से बालक अपनी पीठ से घूमकर अपने पेट के बल लेट पाता है: ___

ख) किस आयु से बालक बिना सहारे के बैठ पाता है: _____

ग) किस आयु से बालक आगे की ओर सरक या हिल पाता है: ____

घ) किस आयु से बालक फर्नीचर के सहारे से चल पाता है: ____

ङ) किस आयु से बालक बिना सहारे के स्वयं चल पाता: _ ___

च) किस आयु से बालक सहारे लेकर सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है:

छ) किस आयु से बालक बिना सहारे के सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है: _____

4. वयस्कों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू):

क) बालक अपने जाने पहचाने देखरेखकर्ता के संपर्क में मुस्कराता है।

ख) बालक को जब उसका जाना-पहचाना देखरेखकर्ता थाम लेता है तो वह आसानी से शांत हो जाता है।

ग) जब बालक का जाना-पहचाना देखरेखकर्ता कमरे से जाता है तब वह बालक रोता है या उसके पीछे-पीछे जाता है।

घ) बालक जब परेशान हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तब वह अपने जाने-पहचाने देखरेखकर्ता को ढूंढता है।

ङ) बालक वार्ड में आने वाले सभी वयस्कों को संपर्क करना चाहता है।

च) बालक देखरेखकर्ता को अपनी भावनाएं शब्दों में संचारित करता है।

5. अन्य बालकों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू):

क) बालक अन्य बालकों के कार्यकलाप देखकर या उन पर मुस्कराकर उनमें अपनी रूचि दर्शाता है।

ख) बालक अन्य बालकों के साथ खेलकर प्रसन्न होता है।

ग) बालक अन्य बालकों के साथ क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करता है।

6. कार्यकलापों का साधारण स्तर:

क) सक्रिय

ख) अत्यधिक सक्रिय

ग) अधिक सक्रिय नहीं

7. साधारण मनोदशा:

क) शांत

ख) भावात्मक रूप से उदासीन

ग) उत्पाती, शांत करना कठिन है

घ) प्रसन्न, संतुष्ट

8. बालक का समग्र प्रेक्षण:
9. बालक के स्वास्थ्य की प्रास्थिति:
   (क) यदि सामान्य, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें
   (ख) यदि बालक के अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजें।

जांच करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर
पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या
मुहर
तारीख

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति

हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _____ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर)	(स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)
(पुरुष आवेदक का नाम)	(स्त्री आवेदक का नाम)
तारीख:	तारीख:
स्थान:	स्थान:

<u>भाग ङ- विशेष जरूरतों संबंधी स्थिति</u>

[भाग ङ को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर भरा जाए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। एक वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में, जिला अस्पताल के बालरोग विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। जिन बालकों में ऐसी कमियां हैं जो उपचारयोग्य और साध्य हैं, उनका उपचार किया जाएगा और बालक को तदनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बालक की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:]

क्या बालक इनमें से किसी भी स्थिति के अंतर्गत आता है? [कृपया जहां लागू हो √ का चिह्न लगाएं]

1. शिशु (जन्म से 12 माह), जिनके निरीक्षण की आवश्यकता है:

प्रतिकूल प्रसवकालीन मामलों - उदाहरण के लिए जन्मगत श्वासावरोध, जन्मगत पांडु रोग, जन्मगत सेप्सिस, निम्न रक्त शर्करा, समय से पूर्व प्रसव से जुड़ी जटिलता और जन्म के समय बहुत कम वजन (1500 ग्राम से कम) आदि के इतिवृत्त वाले शिशु स्नायुविकासात्मक विकारों, न्यूरोमोटर अवस्था, मिर्गी और व्यवहार संबंधी अप्रसामान्यताओं के विकास के जोखिम पर होते हैं। निदान और आगे के प्रबंधन के लिए इन शिशुओं को गहन अनुवर्तन और निरीक्षण की आवश्यकता है। उन्हें विकास में देरी, शरीर में अकड़न या ऐंठन और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वे कम (बोलने में कुछ देरी) से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

(क) निम्नलिखित के इतिवृत्त वाले शिशु:

(i) आनुवंशिक श्वासावरोध:

(ii) आनुवंशिक सेप्सिस:

(iii) पैथोलॉजिकल:

(iv) आनुवंशिक हाइपोग्लाइसीमिया:

(ख) जन्म के समय बहुत कम वजन (1500 ग्राम से कम) जहां उपलब्ध हो, या एसएए में स्थानन के समय वजन या:

(ग) समय-पूर्व जन्म (बत्तीस सप्ताह से कम) जहां उपलब्ध हो या एसएए में स्थानन के समय निर्धारणीय हो:

अस्पताल से छुट्टी मिलने का विस्तृत सारांश (यदि उपलब्ध हो)

टिप्पण: निरीक्षण की आवश्यकता वाले शिशुओं की यह श्रेणी 1 का वर्गीकरण अस्थायी विशेष जरूरतों की श्रेणी में किया जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से जीवन के पहले वर्ष के भीतर समय-समय पर विशेष जरूरतों की स्थिति के बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इनमें से बहुत-से आम तौर पर विकासशील या सामान्य बालक बन सकते हैं।

2. **न्यूरोमोटर स्थितियां:**

ये अप्रसामान्यताएं, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या स्नायुतंत्र को नुकसान के परिणामस्वरूप होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चाल और मुद्रा से संबंधित समस्याएं होती हैं। ये स्थितियां हल्की से लेकर गंभीर अकड़न या एक या अधिक अंगों और धड़ के ढीलेपन तक होती हैं। अकड़न या ढीलेपन के कारण इन बच्चों की मुद्रा और चाल असामान्य हो सकती है। वे हल्के रूप में प्रभावित (उदाहरण के लिए टखने की अकड़न) से लेकर गम्भीर रूप से प्रभावित (उदाहरण के लिए बैठने या खड़े होने या चलने में असमर्थता) हो सकते हैं। वे दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में स्वतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी।

(क) मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी):

(ख) मांसपेशीय विकास का न होना (मस्क्यूलर डिसटोफी):

(ग) वंशानुगत या एक्वायर्ड न्यूरोपैथी:

(घ) रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष (स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी) :

(ङ) न्यूरोपीडियाट्रिक रिपोर्ट:

3. स्नायुविकास संबंधी विकार:

ये मस्तिष्क या केंद्रीय स्नायु तंत्र की वृद्धि और विकास की विकृति होती है। इसमें विकासात्मक मस्तिष्क की शिथिलता शामिल हो सकती है, जो न्यूरोसाइकिएट्रिक समस्याओं या सीखने की समस्याओं, भाषा, गैर-मौखिक संचार आदि के रूप में प्रकट हो सकती है। वे हल्के रूप से प्रभावित (उदाहरण के लिए बोलने में कुछ देरी) से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित (जैसे बैठने या खड़े होने या चलने में असमर्थता, गंभीर बौद्धिक अक्षमता, गंभीर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार आदि) हो सकते हैं।

(क) बौद्धिक अक्षमता:

(ख) अधिगम अक्षमता:

(ग) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार:

(घ) मनोयोग अभाव अतिक्रियाशीलता विकार (एटेन्शन डिफेसिट हाइपरएक्टीविटी विकार):

नैदानिक या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा मूल्यांकन के साथ औपचारिक विकासात्मक उपलब्धि और बौद्धिक उपलब्धि रिपोर्ट:

4. कंकालीय अथवा अस्थि संबंधी स्थिति:

इनमें जन्मजात विसंगतियों जैसे अंग की अनुपस्थिति से उत्पन्न विकृति, क्लबफुट पोलियोमाइलाइटिस जैसे उपार्जित रोगों के कारण होने वाली विकृति या अंगच्छेद, फ्रैक्चर आदि के कारण उत्पन्न अन्य विकृति शामिल हैं।

(क) अंगच्छेद (आंशिक या पूर्ण):

(ख) फ्रैक्चर के पश्चात विकृति:

(ग) एक्स-रे और अस्थि रोग रिपोर्ट अपलोड करें:

5. दृष्टि दुर्बलता और आंखों से संबंधित स्थितियां:

दृष्टि दुर्बलता एक हद तक देखने की क्षमता में कमी होना है जिसके कारण ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो सामान्य साधनों जैसे कि चश्मे से ठीक नहीं हो पाती। इसमें हल्की दुर्बलता से लेकर पूर्ण अंधापन तक हो सकता है। आंखों से संबंधित अन्य समस्याओं में भेंगापन, मोतियाबिंद आदि शामिल हैं। ये बालक, स्थिति की गंभीरता के आधार पर दैनिक जीवन की गतिविधियों को अपने आप करने में सक्षम हो भी सकते हैं और नहीं भी।

(क) अंधापन या अल्प दृष्टि:

(ख) रेटिना अलग होना:

(ग) भेंगापन*:

(घ) मोतियाबिंद*:

(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ रिपोर्ट:

6. श्रवण दोष और वाक् शक्ति और भाषा:

श्रवण दोष, सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता है। वाक् शक्ति और भाषा की स्थितियों में बोलने में शिथिलता या डिस्फैसिया, हकलाना आदि शामिल होंगे। ये बालक स्थिति की गंभीरता के आधार पर दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो भी सकते हैं और नहीं भी।

(क) बधिरता या श्रवण दोष या सुनने में कठिनाई:

(ख) बोलने में अक्षमता या डिस्फैसिया :

(ग) हकलाना:

(घ) वाक् चिकित्सा रिपोर्ट:

(ङ) ईएनटी रिपोर्ट:

7. जन्मगत दोष:

इस श्रेणी में, ऐसे बालक शामिल हैं जो किसी अंग के बिना या विकृत अंग के साथ जन्मे हों। इनमें त्वचा, कोमल ऊतक, अस्थि, हृदय आदि जैसे कई दोष शामिल हैं। इनमें शामिल अंग के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।

(क) अस्पष्ट जननांग:

(ख) अवरोही वृषण:

(ग) एकल गुर्दा:

(घ) जन्मजात हृदय दोष:

(ङ) फेटल एल्कोहल सिंड्रोम:

(च) कटे होंठ या तालू या दोनों*

(छ) पियरे रॉबिन सिंड्रोम:

(ज) हर्निया*:

(झ) कूल्हे की जन्मजात विकृति:

(ञ) उंगली या पैर की उंगलियों का जुड़ा होना (सिंडैक्टली):

(ट) विरूपित जन्म चिन्ह*:

(ठ) प्राथमिक माइक्रोसेफली:

(ड) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ नैदानिक रिपोर्ट:

8. समान आनुवंशिक या चयापचय की स्थिति:

वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार आनुवंशिक स्थितियां हैं जिसके परिणामस्वरूप चयापचय समस्या होती है। वे आहार संशोधनों द्वारा उपचार योग्य हो सकते हैं या विशेष आहार की आवश्यकता हो सकती है।

(क) ऐल्बिनिज़म:

(ख) बौनापन:

(ग) एक्टोडर्मल डिसप्लेसिया:

(घ) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ नैदानिक रिपोर्ट:

9. रक्त संबंधित स्थितियां:

सामान्य रक्त संबंधी स्थितियों में रक्ताल्पता, रक्तस्राव विकार जैसे हीमोफिलिया आदि शामिल हैं। उन्हें रोग की गंभीरता के आधार पर बार-बार रक्त आधान या स्कंदन कारक आधान की आवश्यकता होती है।

(क) सिकल सेल एनीमिया:

(ख) थैलेसीमिया:

(ग) हीमोफीलिया:

(घ) हीमेटोलॉजी रिपोर्ट:

10. जीर्ण प्रणालीगत विकार:

इनमें जीर्ण श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी, अंतःस्रावी, जठरांत्र और स्नायुतंत्र संबंधी विकार शामिल हैं। जीर्णता के कारण, उन्हें दीर्घकालिक या आजीवन दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। जीवन काल अंतर्निहित स्थिति के प्रकार पर निर्भर करता है।

(क) श्वसन संबंधी विकार:

(i) जीर्ण अस्थमा:

(ii) ब्रोन्किइक्टेसिस:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(ख) हृदय विकार:

(i) वातरोगग्रस्त हृदय रोग (रियुमैटिक):

(ii) कोई अ्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(ग) अंतःस्रावी विकार:

(i) मधुमेह मेलेटस:

(ii) हाइपो या हाइपर थायरायडिज्म:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(घ) मस्तिष्क संबंधी विकार:

(i) मिर्गी:

(ii) मल्टीपल स्क्लेरोसिस:

(iii) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(ङ) जठरांत्रिय (गैस्टोइंटेस्टाइनल) विकार:

(i) सीलिएक रोग:

(ii) आंत्रशोथ रोग:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(च) अन्य:

(i) क्रोनिक टॉन्सिलिटिस:

(ii) क्रोनिक ओटिटिस मीडिया:

(iii) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

11. त्वचा संबंधी स्थिति:

इनमें गैर-संक्रामक त्वचा की स्थिति जैसे एक्जिमा, विटिलिगो आदि शामिल हैं। इन बच्चों को दीर्घकालिक दवा की आवश्यकता हो सकती है।

(क) बर्न्स*:

(ख) इचथ्योसिस:

(ग) विटिलिगो:

(घ) त्वचा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

12. संक्रामक स्थितियां:

इनमें जन्मजात और उपार्जित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, क्षय रोग आदि शामिल हैं।

(क) जन्मजात:

(i) हेपेटाइटिस बी:

(ii) हेपेटाइटस सी:

(iii) एचआईवी:

(iv) क्षय रोग:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

(ख) उपार्जित:

(i) हेपेटाइटिस बी:

(ii) हेपेटाइटस सी:

(iii) एचआईवी:

(iv) एलीफैंटियासिस:

(v) क्षय रोग:

(vi) कुष्ठ रोग (सक्रिय):

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

13. पोषण संबंधी विकार और अल्पता स्थिति*:

इनमें आहार में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, कुपोषण, मोटापा और खाने के विकार शामिल हैं।

(क) कुपोषण*:

(ख) मोटापा*:

(ग) भोजन संबंधी विकार*:

(घ) सूखा रोग (रिकेटस)*:

(ङ) पोषण संबंधी रक्ताल्पता*:

(च) स्कर्वी*:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

14. अन्य स्थितियां:

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अर्बुद (ट्यूमर) और बाल्यावस्था के कैंसर:

(ख) सर्जरी (कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी):

(ग) दर्दनाक चोटें:

(घ) कोई भी न्यूरोसाइकिएट्रिक रोग:

(ङ) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

15. एक साथ एक से अधिक स्थितियां:

यदि उपरोक्त सूचीबद्ध एक से अधिक विकारों या रोगों का चयन किया जाता है।

[टिप्पणी- *यह एक अस्थायी विशेष आवश्यकताओं वाले बालक **संबंधी वर्गीकरण हो सकता है। इसके लिए समय-समय पर विशेष जरूरतों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ आमतौर पर विकासशील या सामान्य बालक बन सकते हैं।]**

उपरोक्त विवरण के साथ, मेरा यह निष्कर्ष है कि बालक विशेष आवश्यकताओं वाला है या बालक विशेष आवश्यकताओं वाला नहीं है।

जांच करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या
मुहर
तारीख

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति

हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _____ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर)
(पुरुष आवेदक का नाम)
तारीख:
स्थान:

(स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)
(स्त्री आवेदक का नाम)
तारीख:
स्थान:

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

सं./No.................................... दिनांक/ Date..............................

File No.- E-102362/CARA-ICT/1/2022 15.11.2022

कार्यालय ज्ञापन

जिलाधिकारी (DM), जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) एवं एच.ए.एम.ए के अंतर्गत अंतर देशीय दत्तक ग्रहण के लिए नए बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन (CARINGS) एप्लीकेशन के आलोक में निम्नलिखित जानकारी सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाती है

2. समस्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) टैब को अपने डैशबोर्ड में जोड़ना होगा और सभी राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पंजीकृत करना होगा। वे पहले से प्रदान किए गए पीएम केयर प्रत्यय पत्र का उपयोग करके CARINGS (https://carings.nic.in) पर लॉग इन करने और डीएम उपयोगकर्ता प्रकार चुनने के लिए सभी डीएम को भी सूचित कर सकते हैं।

3. समस्त जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करने के लिए संबंधित डीएम को भेजने से पहले बाईं ओर मेनू में स्थित दत्तक ग्रहण आदेश आवेदन टैब का उपयोग करके दत्तक ग्रहण के आवेदनों की समीक्षा करना आवश्यक है। इसके अलावा, जांच के पश्चात डीएम को दत्तक ग्रहण के आवेदन को अग्रेषित करने से पहले जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दत्तक ग्रहण समिति की कार्यवृत्त और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

4. समस्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाएं (SAAs) को निर्देश दिया जाता है कि वे बाल पंजीकरण के तहत शीर्ष मेनू पर उपलब्ध चाइल्ड एमईआर और सीएसआर टैब का उपयोग करें। यदि बच्चे को अपने स्वयं के बाल रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर द्वारा विशेष आवश्यकता की पहचान की गई है, तो बाल दत्तक विनियम 2022 के अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग ई) के अनुसार बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को सामान्य या विशिष्ट आवश्यकता घोषित करने के लिए मामले को आगे की चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए संबंधित सीएमओ के पास भेजा जा सकता है।

5. समस्त ए.एफ.ए.ए, सी.ए और भारतीय मिशनों को सूचित किया जाता है कि वे बाल दत्तक विनियम 2022 के अध्याय VIII के अनुसार एनआरआई/ओसीआई भावी दत्तक माता पिता (PAPs) जो दत्तक ग्रहण के पश्चात बच्चे को विदेश में पुनर्स्थापित करने की इच्छा रखते हैं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे का उपयोग कर सकते हैं।

डॉ जगन्नाथ पति
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

समस्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPUs) / विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाएं (SAAS) समस्त ए.एफ.ए.ए, सी.ए एवं भारतीय मिशन

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
दूरभाष/ Ph: +91-011-26180194, टोल फ्री/ Tollfree: 1800-11-1311, टेलीफैक्स / Telefax: +91-011-26180198
ई–मेल/ E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक – ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

सत्यमेव जयते

सं./No. CARA-MISC/157/2022-O/o JD (PC)

दिनांक/ Date 22/12/2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : रिश्तेदार/सौतेले बच्चे को गोद लेने के मामले में पूर्व अनुमोदन पत्र जारी करना

दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियमन 54 (6) आदेशित करता है कि, "अनुसूची XXV में दिए गए अनुसार राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था आवश्यक अनुमोदन के लिए मामले को प्राधिकरण के पास भेजेगी, जिसके बाद राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था द्वारा पूर्व-अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।"

2. समस्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAs) को सूचित किया जाता है कि CARINGS पोर्टल अपडेट होने तक पहले से प्रचलित प्रक्रिया का पालन करें, जिसका अर्थ है कि ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय होने तक राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS) के बजाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) पूर्व अनुमोदन पत्र जारी करेगी। इस बीच, सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS) यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मामलों को प्राधिकरण को अग्रेषित करने से पहले नवीनतम विनियमो के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़ प्रासंगिक अनुसूचियों के अनुसार हैं।

3. प्राधिकरण अगले आदेश तक ऐसे सभी मामलों में पूर्व अनुमोदन पत्र जारी करना जारी रखेगा।

डॉ जगन्नाथ पति
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (समस्त राज्य / केंद्र शासित प्रदेश)

जिला बाल संरक्षण इकाई (समस्त राज्य / केंद्र शासित प्रदेश)

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi 110066 (India)
दूरभाष/ Ph. +91-011-26180194, टोल फ्री/ Tollfree: 1800-11-1311, टेलीफैक्स / Telefax: +91-011-26180198
ई–मेल/ E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website : www.cara.nic.in

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सत्यमेव जयते

CARA

सं./No.....CARA-MISC/21/2023-O/o JD(TR)

दिनांक/Date 02.02.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दत्तक ग्रहण विनियमों, 2022 के विनियमन 39 का कड़ाई से पालन

महोदय/महोदया,

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में अंतः देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा एवं अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के लिए अधिदिष्ट है।

2. दत्तक ग्रहण विनियमो 2022, के विनियम 39 कहता है" बाल कल्याण समिति जिन मामलों में बच्चो को जैविक माता पिता द्वारा स्वयं की इच्छा से समर्पित किया जाता है, बालक का जन्म बिना यौन संबंधों की सहमति से हुआ हो या जहां मामला यौन अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मामला पंजीकृत हुआ हो तो बाल कल्याण समिति निर्धारित समय के भीतर दत्तक ग्रहण के लिए बालक को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य है जिसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल (डीएनए) नमूना एकत्रित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलो में दत्तक ग्रहण वाले परिवार परेशानी से बच सके।"

3. दत्तक माता-पिता को किसी भी कठिनाई या उत्पीड़न से बचने के लिए, बाल कल्याण समितियों को दत्तक ग्रहण वि नियम, 2022 के विनियमन 39 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है

डॉ जगन्नाथ पति
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (समस्त राज्य / केंद्र शासित प्रदेश)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत)
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
टोलफ्री/Tollfree: 1800-11-1311, 011-26760471, 26760472, 26760473
ई-मेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: www.cara.nic.in

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सं./No.....
CARA-MISC/157/2022 (E-101595)

दिनांक/Date.....
06/03/2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अंतः देशीय रिश्तेदार/सौतेला बच्चा दत्तक ग्रहण मामलो में दत्तक ग्रहण के आदेश अपलोड करना

दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियमन 54 (9) और 55 (8) में आदेशित करता है कि, "जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक ग्रहण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और ऑनलाइन निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इसकी एक प्रति प्राधिकारी एवं दत्तक माता-पिता को प्रस्तुत करेगी"।

2. यह देखा गया है कि रिश्तेदार/सौतेला दत्तक ग्रहण के मामलों में, संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) दत्तक ग्रहण के आदेश अपलोड नहीं कर रहे हैं, और लंबितता अदालत/डीएम के स्तर पर दिखाई जा रही है। पिछले 3 वर्षों की राज्यवार लंबितता अनुलग्नक 1 में दी गई है।

3. समस्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAs) से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उन्हें अंतिम दत्तक ग्रहण के आदेश को 17 मार्च 2023 तक केयरिंग पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहें।

डॉ जगन्नाथ पति
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

सीईओ तथा सदस्य सचिव

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (समस्त राज्य / केंद्र शासित प्रदेश)

कार्यक्रम प्रबंधक राज्य

दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (समस्त राज्य / केंद्र शासित प्रदेश)

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
टोलफ्री / Tollfree: 1800-11-1311, 011-26760471, 26760472, 26760473
ई–मेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: www.cara.nic.in

Annexure I

Relative Adoption

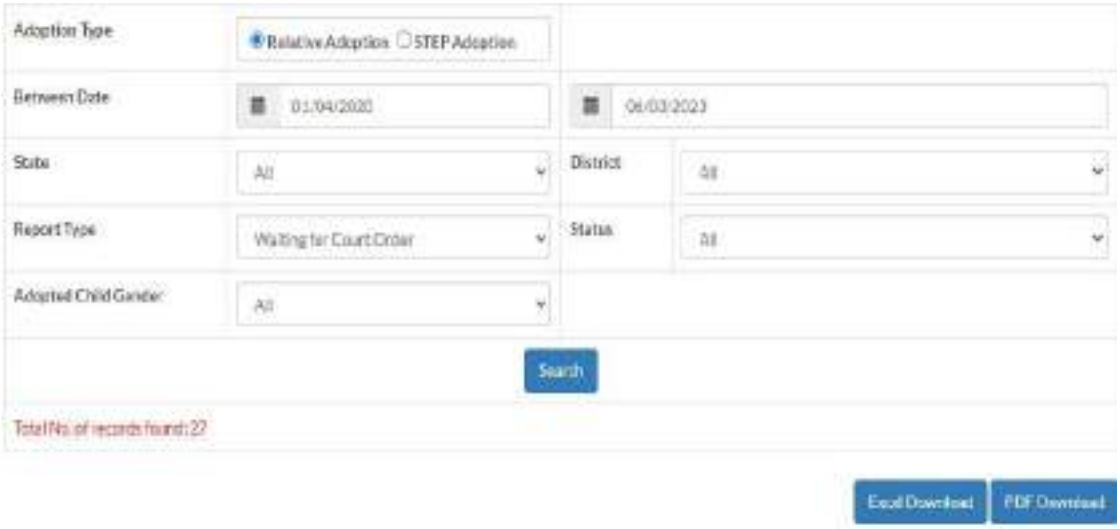

Sl.no	State	Total
1	Himachal Pradesh	1
2	Punjab	10
3	Chandigarh	2
4	Haryana	6
5	Delhi	10
6	Rajasthan	3
7	Uttar Pradesh	7
8	Bihar	1
9	Sikkim	25
10	Manipur	3
11	Mizoram	23
12	Meghalaya	32
13	Assam	2
14	West Bengal	32
15	Jharkhand	2
16	Chhattisgarh	2
17	Madhya Pradesh	17
18	Gujarat	6
19	Maharashtra	120
20	Andhra Pradesh	34
21	Karnataka	4
22	Goa	3
23	Kerala	3
24	Tamil Nadu	45
25	Pondicherry	2
26	Andaman and Nicobar Island	4
27	Telangana	33
	Total	396

Step Adoption

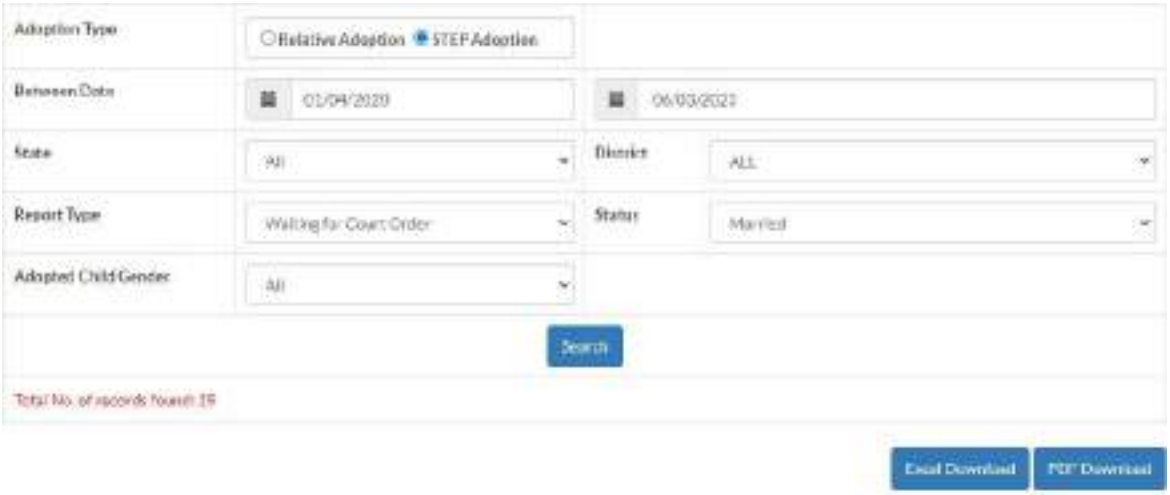

Sl.no	State	Total
1	Punjab	0
2	Haryana	6
3	Delhi	8
4	Rajasthan	1
5	Uttar Pradesh	1
6	Sikkim	9
7	Mizoram	2
8	Assam	3
9	West Bengal	4
10	Madhya Pradesh	5
11	Gujarat	4
12	Maharashtra	18
13	Andhra Pradesh	2
14	Karnataka	3
15	Goa	2
16	Kerala	3
17	Tamil Nadu	7
18	Andaman and Nicobar Island	3
19	Telangana	5
Total		94

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

CARA

सं. / No. CARA-MISC/64/2023-CARA (105550)

दिनांक / Date 17/05/2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अस्थायी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण

भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर, 2022 को अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार, अनुसूची III को बच्चे की चिकित्सा जांच प्रतिवेदन और विशिष्ट आवश्यकताओं के वर्गीकरण के लिए नामित किया गया है। दत्तक ग्रहण विनियमों 2022, की अनुसूची III के भाग 'ई' में, निम्नलिखित स्थितियों को अस्थायी विशिष्ट आवश्यकताओं के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे मामलों में समय-समय पर विशिष्ट आवश्यकताओं की स्थिति की बारीकी से जांच और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ विशिष्ट आवश्यकता श्रेणी के बच्चे आमतौर पर विकासशील या सामान्य बच्चे बन सकते हैं।

a. भैंगापन

b. मोतियाबिंद

c. कटे होंठ या तालू या दोनों

d. हर्निया

e. विरूपित जन्म चिह्न

f. बर्न्स

g. पोषण संबंधी विकार और अल्पता स्थिति

इस अस्थायी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार, सभी राज्य हितधारकों (एसएए और सीसीआई) को डीसीपीएयू, सीएमओ, डीएम और के समन्वय में CARINGS पर अपने सीएसआर, एमईआर और एलएफए अपलोड करने से पहले ऐसे बच्चों के लिए सुधारात्मक सर्जरी/उपचार आयोजित करने की पहल करने के लिए कहा जाता है। इस संबंध में दत्तक ग्रहण विनियमों 2022, की अनुसूची III की सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है। दत्तक ग्रहण विनियमों 2022, की एक प्रति CARA ki वेबसाइट (https://Cara.nic.in) se डाउनलोड की जा सकती है।

डॉ जगन्नाथ पति
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

समस्त एसएएस / सीसीआई / डीसीपीयू / सीएमओ / डीएम / एसएआरए

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
टोलफ्री / Tollfree: 1800-11-1311, 011-26760471, 26760472, 26760473
ई–मेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: www.cara.nic.in

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सं. / No. E103493 CARA-LP07/14/2022 दिनांक / Date 21.03.2023

कार्यालय ज्ञापन

दत्तक ग्रहण विनियमों, 2022 के विनियम 5 (7) के अनुसार, जैसा कि विनियम 2 के खंड (25) में निर्दिष्ट है केवल दो या दो से अधिक बच्चों वाले दंपत्तियों को हीं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विचार किया जाएगा, और विनियमन 2 के खंड (3) में बताए गए बच्चों को रखना मुश्किल है, जब तक कि वे रिश्तेदार या सौतेले बच्चे न हों।

प्राधिकरण की संचालन समिति ने 5 फरवरी 2020 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में एजेंडा संख्या 34.06 में एक निर्णय लिया है कि पहले से ही दो बच्चों वाले भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को एक सामान्य बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) तत्काल प्लेसमेंट या विशिष्ट आवश्यकता पोर्टल पर उपलब्ध बच्चों को आरक्षित करने के पात्र होंगे।

जब निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा हो, तो सभी पंजीकृत भावी माता-पिता (पीएपी) को उपरोक्त मुद्दे पर की गई कार्रवाई के बारे में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं (SARAS) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPUs) / विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थाएं (SAAS) और सी.ए/आई.डी.एम/ए.एफ.ए.ए द्वारा सूचित किया जा सकता है।

डॉ जगन्नाथ पति
निदेशक (कार्यक्रम), कारा

प्रतिः

1. समस्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थाएं, जिला बाल संरक्षण ईकाई, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थाएं

II. समस्त केंद्रीय प्राधिकरण, भारतीय राजनयिक मिशन, अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण संस्थाएं

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
टोलफ्री / Tollfree: 1800-11-1311, 011-26760471, 26760472, 26760473
ई–मेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: www.cara.nic.in

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और व्यय विवरण

7 अध्याय

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

नई दिल्ली

के लेखापरीक्षित लेखाओं के संबंध में

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2022-2023 के लिए

(31 मार्च, 2023 को समाप्त)

अ.शा. पत्र संख्या: AMG-V/4-14/SAR/CARA/2023-24/ 469

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indian Audit and Accounts Department

संगीता पुर्सवानी, आई.ए.&ए.एस.
निदेशक (ए.एम.जी.–V)
Sangeeta Purswani, IA&AS
Director (AMG-V)

Dated: 07-11-2023

हमने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षा किया है एवं पत्रांक AMG-V/14/SAR/CARA/2023-24/466-68 दिनांक 7/11/2023 के द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियाँ देखी गई जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भाग अ (लगातार अनियमितता) एवं भाग ब (अन्य अनियमितता) के अंतर्गत दर्शाया गया है:

भाग-अ (लगातार अनियमितता)

पुस्तकों और प्रकाशन जैसी वस्तु सूची का 2018-19 तक एवं लेखन सामग्री व अन्य उपभोज्य वस्तुओं का 3-9-2020 तक भौतिक सत्यापन किया गया है।

भाग-ब (अन्य अनियमितता)

1. जैसा कि लेखा परीक्षा में बताया गया है, कारा ने वर्ष 2021-22 के दौरान मूल्यह्रास की कम वसूली के कारण 2022-23 के वार्षिक खाते में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यालय उपकरण के संबंध में 13,272 रुपये और कंप्यूटर और परिधीय के संबंध में 98,172 रुपये के मूल्यह्रास को समायोजित किया है। हालाँकि, वर्ष 2022-3 के दौरान मूल्यह्रास की गलत गणना के कारण, कार्यालय उपकरण के संबंध में 1991/- रुपये और कंप्यूटर और परिधीय के संबंध में 39,268/- रुपये का अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों में 41,259/- रुपये की न्युनोक्ति एवं व्यय में उतनी ही राशि की अतियुक्ति पाई गई
2. अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार, दिनांक 17.09.2021 को 5800/- रुपये मूल्य का एक स्विच डी-लिंक 24 पोर्ट खरीदा गया था। हालाँकि, इस वस्तु को अनुसूची 8: अचल संपत्ति के तहत खाते में नहीं रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों में 5800 रुपये की न्युनोक्ति एवं और व्यय में उसी राशि की अतियुक्ति पाई गई
3. खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार, खातों को प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। तदनुसार, वित्तीय वर्ष से संबंधित दावे जो वर्ष के दौरान भुगतान नहीं किए गए हैं को उसी वर्ष से नामे किया जाना चाहिए जिससे व्यय संबंधित है। हालाँकि, यह देखा गया कि अगले वर्ष अप्रैल में भुगतान किए गए मार्च महीने के वेतन पर व्यय को चालू वर्ष के खातों में नहीं, बल्कि वास्तविक भुगतान के वर्ष के अनुरूप अगले वर्ष में शामिल किया जा रहा है। यह लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के अनुरूप नहीं है।
4. बही के अनुसार, विविध प्राप्तियों के शीर्ष के अंतर्गत निपटान किए गए पुराने फर्नीचर वस्तुओं की शेष

Ph.: 91-11-23702351
e-mail:purswanis@cag.gov.in

D.G.A.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
Fax : 91-11-23702271

राशि के रूप में 3021/- रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। हालाँकि, अचल संपत्तियों की अनुसूची -8 में निस्तारित फर्नीचर वस्तुओं के नाम और संख्या के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। इसलिए, अचल संपत्तियों को निस्तारित वस्तुओं के बही मूल्य से अधिक बताया गया है। कारा ने कहा कि यह राशि बहुत पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं को बेचकर अर्जित की गई थी जो रद्दी के रूप में परिवर्तित हो गई और इसे आगामी भौतिक सत्यापन में अचल संपत्ति पंजिका में अद्यतित किया जाएगा।

5. विविध रसीद के रूप में दर्शाई गई 600/- रुपये की राशि को बहीखाते में अज्ञात राशि के रूप में दर्शाया गया था। इसकी पहचान की जा सकती है और खाते में उचित शीर्ष पर अंकित किया जा सकता है।

6. अचल संपत्ति की अनुसूची-8 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान जोड़ी गई संपत्ति का कुल मूल्य 16.44 लाख रुपये था। हालाँकि, केवल 9.80 लाख रुपये की राशि अनुदान/सहायिकी (अनुसूची-3 आय और व्यय खाता) से पूंजीगत निधि में स्थानांतरित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि में 6.64 लाख रुपये की न्युनोक्ति एवं और आय में उसी राशि की अतियुक्ति पाई गईरी

भवदीय

हस्ता/०

सुश्री तृप्ति गुरहा
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण-
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या: ए.एम.जी.-V/04-14/एस.ए.आर./CARA/2023-24/ दिनांक:

09/11/2023 09/11/2023 AO [illegible]

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

विषय : केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाए, इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को प्रेषित की जाये।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2022-23 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले पूर्व वर्षों के सभी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीया,
हस्ता०/-
निदेशक (ए.एम.जी.-V)

अनुलग्नक: यथोपरि

Ph. : 91-11-23454100
Fax : 91-11-23702271
A.G.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
e-mail : dgacr@cag.gov.in

पत्र संख्या: ए.एम.जी.-V/04-14/एस.ए.आर./CARA/2023-24/467 दिनांक: 07.11.2023
- 7 NOV 2023

प्रति:

सुश्री तृप्ति गुरहा, सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद में प्रस्तुत किए जायें, दर्शाते हुए इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथोपरि

6/11/23
निदेशक (ए.एम.जी.-V)

पत्र संख्या: ए.एम.जी.-V/04-14/एस.ए.आर./CARA/2023-24/

प्रति:

प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित की जा रही है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता०/-
निदेशक (ए.एम.जी.-V)

6/11/23

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के खाते पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और अधिकारों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 197। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2016 की धारा 73(2) के साथ पढ़ें के अनुभाग 19(2) के तहत उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली की 31 मार्च 2023 की आय और व्यय खाते और प्राप्तियों और भुगतान खाते की संलग्न संतुलन पत्र का लेखा परीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण कारा, नई दिल्ली प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, तो निरीक्षण प्रतिवेदन / सीएजी की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित किया जाता है।

3. हमने अपना लेखा परीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त या नहीं। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर साक्ष्यों की जांच करना और क्तिीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करना शामिल है।लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।हम मानते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ii) इस प्रतिवेदन में निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii) हमारी राय में, जहां तक हमारी बही खातों की जांच से पता चलता है, कारा द्वारा उचित बही खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं।

iv) हम आगे प्रतिवेदित करते हैं किः

A. तुलन पत्र

A.1 देनदारी

A.1.1 वर्तमान देनदारी और प्रावधान (अनुसूची 7-264.01 लाख रूपए)

A.1.1.1. कारा सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए बनाए गए प्रावधानों से नामे करने के बजाय अपने आय और व्यय खाते में नामे कर रहा था।

उपदान और अवकाश नकदीकरण पर क्रमशः 33.58 लाख रुपये और ।।.30 लाख रुपये की राशि का भुगतान स्थापना व्यय के रूप में किया गया था (अनुसूची-20) यानी वर्ष 2022-23 के दौरान वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों (अनुसूची-7) के तहत उपदान का प्रावधान एवं अवकाश नकदीकरण का प्रावधान। इसके परिणामस्वरूप खर्च में 4.44 लाख रुपये की अतियुक्ति एवं वर्तमान देनदारियों और प्रावधानो में उसी राशि की न्युनोक्ति पाई गई।

B. आय और व्यय खाता

B.1 आय

B.1.1 19.31 लाख रुपये की राशि को आय और व्यय खाते के तहत आय में लेने के बजाय, बीमांकिक भिन्नता के बाद उपदान के प्रावधान के समायोजन के कारण "उपदान की वास्तविक भिन्नता के कारण समायोजन" के रूप में पूंजीगत निधि में जोड़ा गया था।

इसके परिणामस्वरूप 19.31 लाख रुपये की आय की न्युनोक्ति एवं व्यय पर आय की अधिकता की न्युनोक्ति पाईगईं।

C. सामान्य

C.I अनुसूची 11 के अनुसार, दिनांक 31.03.2023 तक वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम, एवं 1091.16 लाख रुपये की अग्रिम राशि बकाया थी । इनमें 2008-09 से 2021-22 की अवधि से संबंधित 1065.93 लाख रुपये के अग्रिम शामिल हैं। कुल बकाया अग्रिम में से 67.19 लाख रुपये प्रशिक्षण और जागरूकता से संबंधित है और शेष 1023.97 लाख रुपये अन्य संगठन एजेंसियों जैसे के. लो. नि. वि ,वि. दू. प्र. नि., रा. सू. वि. के., भा.रा.फि.वि.नि. इत्यादि से संबंधित हैं। यह मुद्दा पिछले वर्ष एसएआर में भी उठाया गया था, लेकिन बकाया अग्रिमों के निपटान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाएगए है

D. सहायता अनुदान

कारा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से वर्ष 2022-23 के दौरान 700.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान प्राप्त हुई, जिसमें से। 30.50 लाख रुपये की राशि मार्च 2023 के दौरान प्राप्त हुई। इसमें पिछले वर्ष की सहायता अनुदान में 25.84 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि थी, जिसमें से 20.15 लाख रुपये मंत्रालय को वापस कर दिए गए थे और 5.69 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान 2022-23 के दौरान उपयोग किया गया था। कारा के पास 8.27 लाख रुपये की आंतरिक रसीद भी उपलब्ध थी | 708.27 लाख रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, कारा ने 650.22 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया था और 32.27 लाख रुपये की अव्ययित निधि वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में स्वचालित रूप से समाप्त हो गईं, जिससे 25.78 लाख रुपये का अव्ययित अनुदान रह गया।

E. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के ध्यानमें लाया गया है।

v. पूर्ववतीं पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते बही खाते के अनुरूप हैं।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणी जो साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इसके उअनुलग्नक मेउल्लिखितलेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं अन्यमामलों के अधीन हैं, आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है।

(a) जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली की मामलों की स्थितिकी तुलन पत्र सेसंबंधित है और

(b) जहां तक, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय खातेसे संबंधित है।

भारत के CAG की ओर से

महानिदेशक लेखापरीक्षा (CE)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक-

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ/विभाग की स्थापना नहीं की गई है। मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा 04/15 से 03/20 तक की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जा रही है, जिन्होंने 2021-22 तक लेखा परीक्षा की है।

2- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- CARA में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है।
- अग्रिम राशि लंबे समय से असमायोजित पड़ी हुई थी।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69(4) के अनुसार, संचालन समिति की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिए। हालाँकि, 2021-22 के दौरान संचालन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2022 तक किया गया।

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पुस्तकों और प्रकाशन जैसी इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन 2018-19 तक किया गया है और स्टेशनरी और अन्य उपभोग्य वस्तुओं का 03.09.2020 तक किया गया है।

5- बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

वार्षिक खातों के अनुसार, वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है। निदेशक (एएमजी-V)

निदेशक (ए.एम.जी.-V)

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110 066 टोल फ्री / टेली. नं. : 1800–11–1311, 011–26760471 / 72 / 73 / 74
ई–मेल : carahdesk@wcd@nic.in वेबसाईट : www.cara.nic.in

एजेंडा संख्या 35.11 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखों का अनुमोदन।

26. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69(3)(बी) के अनुसार, कारा की संचालन समिति वार्षिक लेखों को अनुमोदित करेगी, जिन्हें हर साल लेखापरीक्षा के लिए C&AG के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। C&AG के पैनलबद्ध लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए लेखा पुस्तकों का आंतरिक लेखापरीक्षा पहले ही पूरा कर लिया गया है।

27. वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखे/वित्तीय विवरण, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट (C&AG के पैनलबद्ध लेखा परीक्षक) द्वारा तैयार और प्रमाणित किया गया था, कारा की संचालन समिति के अनुमोदन और SAR लेखापरीक्षा के लिए C&AG को आगे प्रस्तुत करने के लिए परिशिष्ट-E में रखा गया है।

निर्णय: अनुमोदित। विभिन्न कार्यालयों में अव्ययित शेष राशि के मुद्दे पर भी चर्चा की गई तथा समिति ने इस मामले को संबंधित कार्यालयों/प्राधिकरणों के साथ सख्ती से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि इसकी शीघ्र वसूली की जा सके।

एजेंडा संख्या 35.12 संचालन समिति की पिछली बैठक, जो 15.02.2023 को आयोजित की गई थी, के बाद से की गई प्रमुख गतिविधियाँ।

28. फरवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट-एफ में दिया गया है।

पृष्ठ 7 का 11

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वित्तीय विवरण

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ
वित्तीय विवरण	
31 मार्च 2023 तक बैलेंस शीट	1
1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय खाता	2
1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते	3
अनुसूचियाँ और अनुलग्नक	
बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ (1 से 11)	4-12
आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ (12 से 23)	13-23
नोट्स और नीतियाँ	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची - 24)	24-25
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर नोट्स (अनुसूची -25)	26
अनुलग्नक	
अनुलग्नक - ए	27-32
अनुलग्नक - बी	33-34
अनुलग्नक - सी	35

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट

1

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	2022-23	2021-22
कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएँ			
पूंजी निधि	1	117,853,133	117,651,343
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
स्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	26,400,882	26,805,687
कुल		**144,254,015**	**144,457,030**
संपत्ति			
स्थायी संपत्ति	8	5,298,758	5,185,754
निवेश - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश - अन्य	10	26,785,456	25,415,496
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	112,169,801	113,855,780
विविध व्यय			
(जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		**144,254,015**	**144,457,030**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए आय और व्यय खाता

2

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	2022-23	2021-22
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	63,217,564	62,784,863
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय। निर्धारित/बंदोबस्ती से। निधियों को हस्तांतरित निधि)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,868,262	1,543,908
अन्य आय	18	20,931	179,948
तैयार माल और प्रगति पर काम के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19	-	-
कुल (ए)		**65,106,757**	**64,508,719**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	34,353,549	34,660,458
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	31,948,149	25,521,397
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	1,530,847	1,129,896
कुल (बी)		**67,832,545**	**61,311,751**
शेष राशि व्यय (ए-बी) पर आय की अधिकता है		**(2,725,788)**	**3,196,968**
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण			
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) पूंजी में ले जाई गई फंड		**(2,725,788)**	**3,196,968**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान 3

(राशि रु. में)

प्राप्तियां			भुगतान		
विवरण	**2022-23**	**2021-22**	**विवरण**	**2022-23**	**2021-22**
(I) प्रारंभिक शेष:			**(I) व्यय:**		
a) हाथ में नकदी	2,380	588	a) स्थापित व्यय	33,173,987	32,649,824
b) बैंक शेष:			b) प्रशासनिक व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय)	29,478,807	21,109,522
(i) बचत खाता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	543,038	3,386,818	c) पिछले वर्ष के प्रावधानों के विरुद्ध भुगतान	551,716	-
(ii) बचत खाता, केनरा बैंक	2,038,355	1,046,163			
			(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान:		
(II) अग्रिमों का समायोजन	429,964	550,339	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
(III) प्राप्त अनुदान:					
क) भारत सरकार से:-			**(III) अग्रिमों का समायोजन**		
(i) राजस्व व्यय	65,793,411	64,800,000	अव्ययित शेष राशि वापस की गई	2,015,137	4,433,569
(ii) पूंजीगत व्यय	979,927	1,000,000	टीडीएस जीएसटी	-	3,467
ख) राज्य सरकार से	-	-			
ग) अन्य स्रोतों से (जुर्माना)	-	-	**(IV) किए गए निवेश और जमा:**		
अलग से दर्शाया जाए)			a) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से	-	-
			b) स्वयं की निधियों में से (निवेश-अन्य)	-	-
(IV) निवेश पर आय:					
a) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	-	-	(V) अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय:		
b) स्वयं के निधि (अन्य निवेश)	-	-	a) अचल संपत्तियों की खरीद	979,927	1,000,000
			b) व्यय। पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-
(V) प्राप्त ब्याज:					
a) बैंक जमा पर	-	-	**(VI) ऋण एवं अग्रिम:**		
b) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
c) बचत खाता	200,055	226,902	ख) राज्य सरकार को (प्रशिक्षण अग्रिम)	2,523,030	764,117
d) निवेश और अन्य से ब्याज	-	2,063	ग) एनआईसीएसआई	-	7,286,000
			घ) कर्मचारी	-	-
(VI) अन्य आय (निर्दिष्ट करें):			च) अन्य (के.भंडार)	-	-
विविध रसीदें	20,691	22,496			
FSC	-	157,003	**(VII) वित्त प्रभार (ब्याज):**	-	-
अन्य आय	1,658,460	-			
आरटीआई के विरुद्ध रसीद	240	449	**(VIII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें):**		
शुल्क और जुर्माना	-	-	सुरक्षा जमा	-	1,458,622
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट	-	-			
			(IX) समापन शेष:		
(VII) उधार ली गई राशि:	-	-	क) हाथ में नकदी	83	2,380
			ख) बैंक शेष:		
(VIII) कोई अन्य रसीदें (विवरण दें):			(i) बचत खाता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	96,696	543,038
शुल्क और कर	2,794	-	(ii) बचत खाता, केनरा बैंक	2,939,629	2,038,355
सुरक्षा जमा	89,697	96,073			
TOTAL	**71,759,012**	**71,288,894**	**TOTAL**	**71,759,012**	**71,288,894**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

4

अनुसूची 1 - पूंजी निधि:

(राशि रु. में)

विवरण		2022-23	2021-22
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	Balance as at the beginning of the year	117,651,343	112,182,470
जोड़ें: पिछले वर्ष का अप्रयुक्त योगदान	Add : Unspent Contribution of Previous Year	-	-
		117,651,343	**112,182,470**
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजी निधि में योगदान	Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund	378,917	1,000,000
जोड़ें: छुट्टी वेतन के एक्चुरियल मूल्यांकन के कारण समायोजन	Add: Adjustment due to Actuarial valuation of Leave Salary	-	1,271,905
जोड़ें: ग्रेच्युटी के एक्चुरियल मूल्यांकन के कारण समायोजन	Add: Adjustment due to Actuarial valuation of Gratuity	1,980,731	-
जोड़ें: पिछले वर्ष का समायोजन	Add: Adjustment of Previous Year	16,920	-
जोड़ें/(घटाएँ): I & E से हस्तांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from I&E	(2,795,788)	3,196,958
घटाएँ: आरंभिक शेष	Less: Opening balance	-	-
आय और व्यय खाता	Income and Expenditure Account	-	-
घटाएँ: रिजर्व और अधिशेष में स्थानांतरण	Less: transfer to Reserve & surplus	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		**117,853,133**	**117,651,343**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष :

(Amount in Rs.)

विवरण		2022-23	2021-22
1. पूंजी आरक्षित निधि:	1. CAPITAL RESERVE:		
पिछले खाते के अनुसार	As per last Account	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	Addition during the year	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	Less : Deductions during the year	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:	2. REVALUATION RESERVE :		
पिछले खाते के अनुसार	As per last Account	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	Addition during the year	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	Less : Deductions during the year	-	-
3. विशेष आरक्षित निधि:	3. SPECIAL RESERVE :		
पिछले खाते के अनुसार	As per last Account	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	Addition during the year	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	Less : Deductions during the year	-	-
4. सामान्य आरक्षित निधि:	4. GENERAL RESERVE :		
पिछले खाते के अनुसार	As per last Account	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	Addition during the year	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	Less : Deductions during the year	-	-
कुल		**-**	**-**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

5

अनुसूची 3 - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-
ख) निधियों में वृद्धि:	-	-
(i) अनुदान (गैर-योजना):	-	-
क) राजस्व व्यय	-	-
ख) पूंजीगत व्यय	-	-
(ii) निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	-	-
(iii) अन्य वृद्धि (प्रकृति निर्दिष्ट करें):	-	-
अंतर्राष्ट्रीय मीट पंजीकरण शुल्क	-	-
कुल (क+ख)	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय		
(i) पूंजीगत व्यय		
* अचल संपत्तियाँ	-	-
* अन्य	-	-
(ii) राजस्व व्यय		
* वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-
* किराया	-	-
* अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
अंतर्राष्ट्रीय मीट व्यय	-	-
कुल (c)	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (a+b-c)	-	-
नोट:		
1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षकों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।		
2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दिखाया जाना चाहिए तथा किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए।		

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

6

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार:

(राशि रु. में)

विवरण		2022-23	2021-22
1. केंद्र सरकार	1. Central Government	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	2. State Government (Specify)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	3. Financial Institutions	-	-
क) सावधि ऋण	a) Term Loans	-	-
ख) अर्जित और देय ब्याज	b) Interest accrued and due	-	-
4. बैंक:	4. Banks:		
क) सावधि ऋण	a) Term Loans	-	-
- अर्जित और देय ब्याज	- interest accrued and due	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	b) Other Loans (Specify	-	-
- अर्जित और देय ब्याज	- interest accrued and due	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	6. Debentures and Bonds	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	7. Others (Specify)	-	-
कुल		-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार:

(राशि रु. में)

विवरण		2022-23	2021-22
1. केंद्र सरकार	1. Central Government	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	2. State Government (Specify)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	3. Financial Institutions	-	-
4. बैंक:	4. Banks:		
क) सावधि ऋण	a) Term Loans	-	-
ख) अर्जित और देय ब्याज	b) Interest accrued and due	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	6. Debentures and Bonds	-	-
7. सावधि जमा	7. Fixed Deposits	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	8. Others (Specify)	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं:

(Amount in Rs.)

विवरण	2022-23	2021-22
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

8

अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं और प्रावधान:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
ए. वर्तमान देयताएँ		
अव्ययित अनुदान सहायता	2,575,847	2,015,137
सुरक्षा जमाराशि	185,770	96,073
जीएसटी पर टीडीएस	2,794	-
स्टाफ खाता डॉ. जे. पति	3,670,191	-
प्रशिक्षण व्यय देय (एमएससीपीएस)	241,181	30,982
स्टाफ खाता वीरेंद्र कुमार मिश्रा	15,376	15,376
वेतन एवं लेखा अधिकारी, एजीएमपी, ग्वालियर	131,038	131,038
कुल (ए)	**6,822,197**	**2,288,606**
बी. प्रावधान:		
1. कराधान के लिए	-	-
2. ग्रेच्युटी	10,834,958	14,532,347
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	8,496,242	9,416,098
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
व्यय के लिए प्रावधान (अनुलग्नक 'सी' के अनुसार)	247,485	568,636
कुल (B)	**19,578,685**	**24,517,081**
कुल (A+B)	**26,400,882**	**26,805,687**

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development
Government of India
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक, CARA / Director
Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development
Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31.03.2023 तक अचल संपत्ति अनुसूची

अनुसूची 8 - अचल संपत्तियां: विवरण अनुलग्नक - ए के अनुसार

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में तैनाती से पहले लिखित मूल्य।	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	घाटा जमा राशि अब लिखी गई है	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत तक 31.03.2023	पिछले वर्ष के अंत तक 31.03.2022
ए. अचल संपत्तियां:												
1. भूमि:												
ए) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) लीजहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:												
ए) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) लीजहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) इकाई से संबंधित नहीं भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर (10%)	5,301,698	2,290,984	110,028	-	2,401,012	3,010,714	238,609	-	-	3,249,323	2,162,403	2,290,984
6. कार्यालय उपकरण (15%)	3,728,361	1,444,932	324,291	-	1,769,223	2,271,855	252,154		13,271	2,537,280	1,503,798	1,444,932
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल (40%)	7,476,057	1,238,282	545,608	-	1,783,890	6,237,775	711,386	-	98,169	7,047,330	974,335	1,238,282
8. बिजली की स्थापना	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
9. ट्यूबवेल और पानी की आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल संपत्तियां (पुस्तकालय)	45,521	374	-	-	374	-	-	-	-	-	374	374
11. कार्यक्रम संपत्तियां	633,795	211,182	663,924	-	875,106	422,613	217,258	-	-	639,871	657,848	211,182
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**17,185,432**	**5,185,754**	**1,643,851**	**-**	**6,829,605**	**11,942,957**	**1,419,407**	**-**	**111,440**	**13,473,804**	**5,298,758**	**5,185,754**
बी. पूंजीगत कार्य-प्रगति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	**17,185,432**	**5,185,754**	**1,643,851**	**-**	**6,829,605**	**11,942,957**	**1,419,407**	**-**	**111,440**	**13,473,804**	**5,298,758**	**5,185,754**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

10

अनुसूची 9 - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश:

(राशि रु. में)

विवरण		2022-23	2021-22
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	1. In Government Securities	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	2. Other Approved Securities	-	-
3. शेयर	3. Shares	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	4. Debentures and Bonds	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL		**-**	**-**

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जाने वाले)	-	-
7. अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज	-	-
8. सावधि जमा (केनरा बैंक/यूबीआई के साथ)		
(i) केनरा बैंक के साथ	15,322,781	14,544,624
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ	11,462,675	10,870,872
कुल	**26,785,456**	**25,415,496**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

11

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
ए. चालू परिसंपत्तियाँ:		
1. इन्वेंटरी:		
ए) स्टोर और स्पेयर	-	-
बी) ढीले उपकरण	-	-
सी) स्टॉक-इन-ट्रेड	-	-
डी) तैयार माल	-	-
ई) कार्य-प्रगति	-	-
एफ) कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार:		
ए) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
बी) अन्य	-	-
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित):	83	2,380
4. बैंक शेष:		
ए) अनुसूचित बैंकों के साथ:		
* चालू खातों पर	-	-
* जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल है)	-	-
* बचत खातों पर		
(i) केनरा बैंक के साथ	2,939,629	2,038,355
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ	96,696	543,038
बी) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:		
* चालू खातों पर	-	-
* जमा खातों पर	-	-
* बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर-बचत खाते	-	-
कुल	**3,036,408**	**2,583,773**

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
बी. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ:		
1. ऋण:		
क) स्टाफ (अनुलग्नक 'बी')	5,000	1,573,500
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगे अन्य निकाय	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:	-	-
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान	-	-
ग) अन्य:	-	-
अनुलग्नक 'बी' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	6,719,439	5,557,087
एनआईसी	3,826,136	3,826,136
सीपीडब्ल्यूडी	8,280,626	8,280,626
डीएवीपी	72,512,770	72,512,770
घ) डाक अग्रिम	39,431	39,431
एनआईसीएसआई	5,576,130	7,286,151
डीजीएस एंड डी	63,459	63,459
संपदा निदेशालय	8,000	8,000
श्रीमती उषा मल्होत्रा	25,000	25,000
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम।	12,065,000	12,065,000
केन्द्रीय भंडार	-	-
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर - अन्य (एफडीआर)	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य (बैंक से प्राप्त ब्याज)	12,402	34,847
प्राप्त अनुदान सहायता		
4. प्राप्त दावे:	-	-
कुल (B)	**109,133,393**	**111,272,007**
कुल (A+B)	**112,169,801**	**113,855,780**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएँ	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

राम सरन / Ram Saran
वित्तीय सलाहकार / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, प्रथम तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Patil
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme), CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

14

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)		
जोड़ें:- कुल अप्रयुक्त अनुदान	2,015,137	4,433,569
1) केंद्र सरकार	66,773,338	65,800,000
घटाएँ:- 31/03/2023 को अप्रयुक्त अनुदान	2,575,847	2,015,137
घटाएँ:- पूंजी कोष में राशि हस्तांतरण	979,927	1,000,000
2) राज्य सरकारें	-	-
3) सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें) भारत के समेकित कोष में हस्तांतरण	2,015,137	4,433,569
कुल	**63,217,564**	**62,784,863**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

15

अनुसूची 14 - शुल्क/सदस्यता/जुर्माना

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
6. जुर्माना	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट: प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का खुलासा किया जाना है

राम सरन / Ram Saran
Integrated Finance Officer, CARA
Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development
Government of India
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
Director, CARA
Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development
Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

16

अनुसूची 15 - निवेश से आय

(निवेश पर आय. निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निधि में स्थानांतरित)

(राशि रु. में)

विवरण	निर्धारित निधि से निवेश	
	2022-23	2021-22
1. ब्याज:		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
2. लाभांश:		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
निर्धारित/एंडोमेंट फंड में स्थानांतरित	-	-

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कार्य / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, प्रथम तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Patil
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme), CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सीईओ, कार्य
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 17

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशनों से आय	-	-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, प्रथम तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme), CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 18

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
1) सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1,369,960	1,280,096
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	212,457	261,749
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण पर:		
क) कर्मचारी/स्टाफ	285,845	2,063
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**1,868,262**	**1,543,908**

नोट: स्रोत पर कर कटौती दर्शाई जाए

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 19

अनुसूची 18 - अन्य आय:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	-	-
ख) अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियाँ, या निःशुल्क प्राप्त	-	-
2) निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय	20,691	22,496
5) पुराने समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की बिक्री	-	-
6) डाक विभाग द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट	-	-
7) आरटीआई शुल्क	240	449
8) प्राप्त विदेशी अंशदान	-	-
9) अंतर्राष्ट्रीय मीट (आर.फीस खाता)	-	-
10) एफएससी प्राप्त (छुट्टी वेतन) खाता	-	157,003
कुल	**20,931**	**179,948**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां **20**

अनुसूची 19 - तैयार माल एवं प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) :

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
क) अंतिम स्टॉक		
है) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ख) घटाएँ: आरंभिक स्टॉक		
में) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
कुल	-	-

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, प्रथम तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme)
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K.
नई दिल्ली / New Delhi-1100

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
वेतन और मजदूरी	22,553,330	24,732,999
भत्ते, बोनस और मानदेय	60,000	90,000
ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	661,500	901,000
छुट्टी वेतन भुगतान	2,302,169	1,810,289
ग्रेच्युटी भुगतान	3,357,870	67,091
चिकित्सा व्यय	1,814,151	2,331,950
एलटीसी व्यय	428,245	57,903
पीएफ में नियोक्ता का योगदान	2,486,366	2,181,511
ईडीएलआई (पीएफ)	12,750	14,175
ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क	62,872	67,432
एफएससी	599,296	1,083,274
ग्रेच्युटी प्रावधान	-	1,317,834
छुट्टी वेतन प्रावधान	-	-
कर्मचारी वर्दी शुल्क	15,000	5,000
कुल	**34,353,549**	**34,660,458**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
विज्ञापन और प्रचार	28,672	-
ऑडिट फीस	203,280	508,840
बैंक शुल्क	2,872	2,162
देखभाल व्यय	1,851,741	6,740,821
कंप्यूटर नेटवर्किंग और सहायक उपकरण	29,822	27,031
परामर्श सेवा शुल्क	17,085,133	8,602,865
वाहन व्यय	19,357	33,681
हिंदी पखवाड़ा व्यय	40,065	30,835
आतिथ्य	68,550	85,959
निरीक्षण और निगरानी व्यय	139,947	89,505
इंटर्नशिप व्यय	938,383	962,676
बैठक व्यय	61,583	33,605
समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ	109,009	84,302
कार्यालय व्यय	18,092	54,059
डाक और टेलीग्राम शुल्क	226,976	148,169
मुद्रण व्यय	38,783	329,425
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	563,421	195,432
भर्ती और प्रशिक्षण व्यय	31,403	6,342
कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव	134,258	391,004
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत और रखरखाव	16,150	16,405
कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	209,395	144,251
सुरक्षा और सफाई व्यय	2,977,329	2,924,317
स्टेशनरी व्यय	655,509	525,560
टेलीफोन शुल्क	703,882	689,641
टोल फ्री हेल्पलाइन व्यय	154,370	64,752
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम व्यय	3,168,525	447,782
यात्रा व्यय	1,116,780	335,801
वाहन किराये (कार) शुल्क	760,395	943,165
पानी और बिजली शुल्क	105,424	69,450
एनईआर व्यय	102,346	396,083
आकस्मिक व्यय (विविध) व्यय) खाता	105,147	233,477
एनओसी समिति सदस्यों को मानदेय खाता	281,550	404,000
सकल कुल	**31,948,149**	**25,521,397**

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

23

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

नोट: संस्थाओं का नाम, उनकी गतिविधियां तथा अनुदान/सब्सिडी की राशि का खुलासा किया जाना है।

अनुसूची 23 - ब्याज:

(राशि रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
क) निश्चित ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

राम सरन / Ram Saran
वित्तीय सलाहकार / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, प्रथम तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Patil
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme), CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सीओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-24

महत्वपूर्ण लेखांकन, नीतियां खातों की तैयारी के लिए आधार:

1. **लेखा रूपांतरण**

   वित्तीय स्थिति लेखांकन की वार्षिक विधि में तैयारी में बाधा डालती है।

2. **इन्वेंट्री वैल्यूएशन:**

   स्टोरल स्पेयर्स का मूल्यांकन किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है

3. **निवेश**

   निवेशकों को लंबे समय तक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है" ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है

4. **अचल संपत्ति**

   4.1 अचल संपत्तियां अधिग्रहण की लागत में शामिल हैं, जिसमें इनवॉइस फ्रेट, शुल्क और शुल्क और अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

   4.2 गैर-आवर्ती अनुदान के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियां पूंजीगत हैं और पूंजी कोष में संबंधित क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्य हैं।

   4.3 अचल संपत्तियों की सूची में पिछले वर्ष 2021-2021 के लिए देय घाटा मूल्यह्रास प्रभार का कॉलम दिखाया गया है। मूल्यह्रास जो इसके द्वारा कम लगाया गया था। 1.1 440/- मैं एसएआर ऑडिट पैरा को भी हटा देता हूं।

5. मूल्यह्रास:

5.1 सीएंडएजी द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सुझाए अनुसार 01.04.2018 से आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों के अनुसार डब्ल्यूडीवी पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

क. वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों से कटौती के अतिरिक्त के संबंध में, मूल्यह्रास नियम के अनुसार माना जाता है।

ख. 5,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्तियों को पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।

ग. अचल संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत का 5% लिया गया है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी:

6.1 सरकारी अनुदान/सब्सिडी का लेखा-जोखा प्रोद्भव आधार पर किया जाता है।

6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत व्यय के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए अन्यथा निर्दिष्ट नहीं की गई पूंजीगत संपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि को पूंजी निधि के तहत दिखाया गया है।

7. पट्टा:

पट्टा किराया पट्टा शर्तों के संदर्भ में व्यय किया जाता है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ:

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान एक्चुरियल गणना के आधार पर अर्जित और गणना की जाती है।

8.2 कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान एक्चुरियल गणना के आधार पर अर्जित और गणना की जाती है।

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड 8, विंग-2, द्वितीय तल, आर के पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram

सदस्य सचिव एवं सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Woman & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-25

आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएँ रु. शून्य हैं
2. संचालन समिति की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्ति पर मूल्य कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।
3. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
4. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और 31 मार्च 2023 तक बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, भारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, प्रथम तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 1st Floor, R.K. Puram

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme)
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सदस्य सचिव और सी.ई.ओ., भारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066

2022-23 अनुलग्नक-ए

विवरण	सकल ब्लॉक		वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	कुल मात्रा	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	मूल्यह्रास			नेट ब्लॉक		
01/04/2018 से WDV पर आयकर अधिनियम के अनुसार	मात्रा	मूल लागत /खरीद मूल्य	राशि	मात्रा	राशि	राशि	मात्रा	राशि	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के अंत में कुल मूल्यह्रास	वर्तमान वर्ष के अंत में मूल्य 31.03.202	पिछले वर्ष के अंत में मूल्य 31.03.2022	टिप्पणियाँ
ए.फर्नीचर और फिक्सचर : (10%)														
31-3-2013 तक (विवरण संलग्न)	1	3251249	1255142	0	0	0	1	1255142	1996107	125514	2121621	1129628	1255142	
वोल्टास स्प्लिट एसी 2 टन (29/10/14)	1	43500	19653	0	0	0	1	19653	23847	1965	25812	17688	19653	
स्टील हाई बैक चेयर 27/11/14	1	13000	5873	0	0	0	1	5873	7127	587	7714	5286	5873	
स्टील विज़िटर चेयर (27/11/14)	4	28000	12650	0	0	0	4	12650	15350	1265	16615	11385	12650	
लकड़ी की एग्जीक्यूटिव टेबल ब्लैक 27/11/14	1	34000	15361	0	0	0	1	15361	18639	1536	20175	13825	15361	
लकड़ी की सेंटर टेबल ग्लास टॉप 27/11/14	1	5600	2530	0	0	0	1	2530	3070	253	3323	2277	2530	
लकड़ी की कंप्यूटर टेबल ग्लास टॉप 27/11/14	2	9000	4066	0	0	0	2	4066	4934	407	5341	3659	4066	
स्टैंड के साथ व्हाइट बोर्ड 12/6/2015	1	7788	3653	0	0	0	1	3653	4135	365	4500	3288	3653	
रिसेप्शन टेबल (7x2-3"-6") 3/12/2015	1	37000	18894	0	0	0	1	18894	18106	1889	19995	17005	18894	
रिवॉल्विंग चेयर 3/12/15	1	6650	3395	0	0	0	1	3395	3255	340	3595	3055	3395	
वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर 1.5 टन स्टेबलाइज़र के साथ 21.9.16	2	79700	44839	0	0	0	2	44839	34861	4484	39345	40355	44839	
ऑफिस टेबल 48'x30' (28.2.17)	3	29700	17481	0	0	0	3	17481	12219	1748	13967	15733	17481	
ऑफिस टेबल 60'x30'x30' (28.2.17)	2	23160	13631	0	0	0	2	13631	9529	1363	10892	12268	13631	
एग्जीक्यूटिव हाइट बैक चेयर (jv) 1.11.16	1	6075	3450	0	0	0	1	3450	2625	345	2970	3105	3450	
विजिटर्स चेयर 1.11.16 (jv)	8	26100	856	0	0	0	8	856	25244	86	25330	770	856	
पांच सीटर सोफा सेट 1.11.16 (JV)	1	19125	10858	0	0	0	1	10858	8267	1086	9353	9772	10858	
एग्जीक्यूटिव टेबल 1.11.16 (JV)	1	18000	10219	0	0	0	1	10219	7781	1022	8803	9197	10219	
विजिटर्स चेयर 16.12.16	12	30900	17545	0	0	0	12	17545	13355	1755	15110	15790	17545	
कॉर्नर टेबल 9.1.17 (JV)	2	6300	3641	0	0	0	2	3641	2659	364	3023	3277	3641	
सेंट्रल टेबल 9.1.17 (JV)	1	7312	4227	0	0	0	1	4227	3085	423	3508	3804	4227	
विजिटर्स चेयर 16.1.17	16	78700	45503	0	0	0	16	45503	33197	4550	37747	40953	45503	
ऑफिस टेबल 42'x24' 15.2.17	5	42750	25051	0	0	0	5	25051	17699	2505	20204	22546	25051	
ऑफिस टेबल 48'x24' 15.217	1	9250	5420	0	0	0	1	5420	3830	542	4372	4878	5420	
ऑफिस टेबल 48'x30'15.2.17	3	29700	17402	0	0	0	3	17402	12298	1740	14038	15662	17402	
वर्क स्टेशन 15.2.17	9	110250	64604	0	0	0	9	64604	45646	6460	52106	58144	64604	
सोफा सेट एक सीटर 22.2.17	2	11910	7010	0	0	0	2	7010	4900	701	5601	6309	7010	
सोफा 2 सीटर 22.2.17	1	9330	5492	0	0	0	1	5492	3838	549	4387	4943	5492	
सोफा 3 सीटर 22.2.17	1	11580	6816	0	0	0	1	6816	4764	682	5446	6134	6816	
ऊंची पीठ वाली कुर्सी 22.2.17	6	35730	21030	0	0	0	6	21030	14700	2103	16803	18927	21030	
लकड़ी का सोफा सेट 2 सीटर 16.3.17	1	20250	11971	0	0	0	1	11971	8279	1197	9476	10774	11971	
लकड़ी का सोफा सेट 2 सीटर 16.3.17	2	20250	11971	0	0	0	2	11971	8279	1197	9476	10774	11971	
सेंट्रल टेबल 16.3.17	1	10125	5986	0	0	0	1	5986	4139	599	4738	5387	5986	
साइड टेबल 16.3.17	2	5625	3326	0	0	0	2	3326	2299	333	2632	2993	3326	
मीटिंग टेबल 28.3.17	1	25312	15029	0	0	0	1	15029	10283	1503	11786	13526	15029	

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme)
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली-110066
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066

पूर्ण ऊंचाई भंडारण इकाई 28.3.17	1	14766	8768	0	0	0	1	8768	5998	877	6875	7891	8768	
रिसीप्शन 28.3.17	1	39656	23547	0	0	0	1	23547	16109	2355	18464	21192	23547	
कार्यालय टेबल 48"x30"x30" (15.5.17)	1	9900	5930	0	0	0	1	5930	3970	593	4563	5337	5930	
कार्यालय टेबल 42"x24"x30" (6.6.17)	1	8550	5165	0	0	0	1	5165	3385	517	3902	4648	5165	
कार्यालय टेबल 48"x30"x30" (6.6.2017)	1	9900	5930	0	0	0	1	5930	3970	593	4563	5337	5930	
साइड रैक 36"x18"x30" (6.6.17)	6	37800	22837	0	0	0	6	22837	14963	2284	17247	20553	22837	
पीतल प्लांटर (नंबर 12) 15.6.17	10	6248	206	0	0	0	10	206	6042	21	6063	185	206	
पीतल प्लांटर (नंबर 14) 15.6.17	12	12537	411	0	0	0	12	411	12126	41	12167	370	411	
पीतल प्लांटर (नंबर 16) 15.6.17	4	6090	200	0	0	0	4	200	5890	20	5910	180	200	
कार्यालय अलमारी 1200x900x450 29.9.17	7	90998	56867	0	0	0	7	56867	34131	5687	39818	51180	56867	
कार्यालय अलमारी 78"x36"x19"	15	94204	2175	0	0	0	15	2175	92029	218	92247	1957	2175	
ऑफिस अलमारी 50"x30"x17"	5	19019	0	0	0	0	5	0	19019	0	19019	0	0	
बुक केस, 4 दरवाज़े	3	13559	0	0	0	0	3	0	13559	0	13559	0	0	
एग्जीक्यूटिव विज़िटर चेयर	10	35952	0	0	0	0	10	0	35952	0	35952	0	0	
फ़ाइल कैबिनेट, 2 दराज	4	15630	0	0	0	0	4	0	15630	0	15630	0	0	
फ़ाइल कैबिनेट, 4 दराज	5	27113	889	0	0	0	5	889	26224	89	26313	800	889	
सेंटर टेबल	3	9882	0	0	0	0	3	0	9882	0	9882	0	0	
स्टेबलाइज़र के साथ एयर कंडीशनर	3	99686	3270	0	0	0	3	3270	96416	327	96743	2943	3270	
रूम हीटर	4	1400	0	0	0	0	4	0	1400	0	1400	0	0	
पीतल का लैंप	1	5976	196	0	0	0	1	196	5780	20	5800	176	196	
केबिन पंखा	1	550	0	0	0	0	1	0	550	0	550	0	0	
स्टेबलाइज़र के साथ एयर कंडीशनर	2	52000	11434	0	0	0	2	11434	40566	1143	41709	10291	11434	
स्टेबलाइज़र के साथ एयर कंडीशनर	1	32000	9697	0	0	0	1	9697	22303	970	23273	8727	9697	
एसी विन. वोल्टास स्टेब के साथ. 1.5 टन	2	52600	22490	0	0	0	2	22490	30110	2249	32359	20241	22490	
एसी स्पेशल वोल्टास 2 टी स्टेब के साथ.	1	46000	19669	0	0	0	1	19669	26331	1967	28298	17702	19669	
यूपीएस एसीपी 700 वीए (जून/14)	1	4850	164	0	0	0	1	164	4686	16	4702	148	164	
वोल्टास एयर कंडीशनर 31.3.17	3	85300	45332	0		0	3	45332	39968	4533	44501	40799	45332	
एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर्स 3.5.17		6000	197	0		0		197	5803	20	5823	177	197	
स्प्लिट एसी 1.5 टन 19.6.17	1	29800	16765	0		0		16765	13035	1677	14712	15088	16765	
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज 1 सीटर सोफा (31.03.2022)	3	100440	95418	0		0	3	95418	5022	9542	14564	85876	95418	
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज 3 सीटर सोफा (31.03.2022)	3	179280	170316	0		0	3	170316	8964	17032	25996	153284	170316	
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज सेंटर टेबल (31.03.2022) भाग	2	51091	48536	0		0	2	48536	2555	4854	7409	43682	48536	
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज सेंटर टेबल (11.04.2022)				1	15869	0		15869	0	1587	1587	14282	0	
1 रिवॉल्विंग और 4 विज़िटर चेयर (26.07.2022)				5	64220	0		64220	0	6422	6422	57798	0	
हाई बैक चेयर (21.03.2023)				2	14940	0		14940	0	747	747	14193	0	
रिवॉल्विंग चेयर (21.03.2023)				1	14999	0		14999	0	750	750	14249	0	
कुल		**5,301,698**	**2,290,984**		**110,028**	**-**		**2401012**	**3010714**	**238609**	**3249323**	**2162403**	**2290984**	
बी. कार्यालय उपकरण (15.00%)														
रेफ्रिजरेटर व्हर्लपुर 190 लीटर (29/10/14)	1	12500	3297	0	0	0	1	3297	9203	495	9698	2802	3297	
वाटर डिस्पेंसर वोल्टास (5/11/14)	1	10000	2637	0	0	0	1	2637	7363	396	7759	2241	2637	
टेलीफोन उपकरण (बीटेल) 31/3/15	10	8949	2453	0	0	0	10	2453	6496	368	6864	2085	2453	
रेफ्रिजरेटर एलजी 195 लीटर (31/3/15)	1	13800	3782	0	0	0	1	3782	10018	567	10585	3215	3782	
रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रोलक्स 163 बीएम (31/3/15)	1	9600	2631	0	0	0	1	2631	6969	395	7364	2236	2631	
वाटर डिस्पेंसर वोल्टास (31/3/14)	3	26400	7235	0	0	0	3	7235	19165	1085	20250	6150	7235	
माइक्रोवेव ओन आईएफबी (31/3/15)	3	17700	4850	0	0	0	3	4850	12850	728	13578	4122	4850	
स्टार ईपीएबीएक्स 3पी एंड टी लाइन के साथ 28/11/2014	1	8505	1909	0	0	0	1	1909	6596	286	6882	1623	1909	
पैनासोनिक पुश बटन टेली इंस्ट्रूंट 28/11/14	2	6300	1414	0	0	0	2	1414	4886	212	5098	1202	1414	

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India

डॉ. जगन्नाथ पाली / Dr. Jagannath Palli
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme)
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram

कैनम स्कैनर Dr-M1060 A3 FB 201 08/02/16	2	299122	94336	0	0	0	2	94336	204786	14150	218936	80186	94336	
कैनम डिजिटल मल्टी प्रिंटर MF 6180 08/2/16	5	220500	69541	0	0	0	5	69541	150959	10431	161390	59110	69541	
माइक्रोटेक UPS 800 VA 27.7.16	1	4388	114	0	0	0	1	114	4274	17	4291	97	114	
सुकैम UPS 600 VA 31.3.17	30	60000	1566	0	0	0	30	1566	58434	235	58669	1331	1566	
कैनन डिजिटल कॉपियर (IR 2002n) 17.11.16	1	69983	29012	0	0	0	1	29012	40971	4352	45323	24660	29012	
कैनन डिजिटल कॉपियर (IR 2002n) 9.3.17	1	69950	29577	0	0	0	1	29577	40373	4437	44810	25140	29577	
Vu अल्ट्रा HD TV (55') 29.3.17	1	66675	28192	0	0	0	1	28192	38483	4229	42712	23963	28192	
रेफ्रिजरेटर सैमसंग 321 लीटर. 30.3.17	2	70000	29598	0	0	0	2	29598	40402	4440	44842	25158	29598	
आईपी पीबीएक्स सिस्टम- मैट्रिक्स जीई 6 एस 30.3.17	1	159185	67307	0	0	0	1	67307	91878	10096	101974	57211	67307	
मैट्रिक्स डिजिटल की फोन 30.3.17	2	12000	5074	0	0	0	2	5074	6926	761	7687	4313	5074	
मैट्रिक्स आईपी फोन- वीपी 248 एसई 30.3.17	5	39700	16786	0	0	0	5	16786	22914	2518	25432	14268	16786	
मैट्रिक्स आईपी फोन- वीपी 110 30.3.17	30	120000	50739	0	0	0	30	50739	69261	7611	76872	43128	50739	
पीओई के साथ आईपी फोन 1.5.17		68000	1775	0	0	0		1775	66225	266	66491	1509	1775	
जीएसबी-10 आरई किट 7.9.17		3749	98	0	0	0		98	3651	15	3666	83	98	
मैट्रिक्स जीई वीएमएस- 16 कार्ड 4.12.17		24869	12159	0	0	0		12159	12710	1824	14534	10335	12159	
हैवेल्स ऑयल फिल्ड रेडिएर रूम हीटर 6.3.18		133030	68343	0	0	0		68343	64687	10251	74938	58092	68343	
एनपी से														
एम्पलीफायर के साथ ईपीएबीएक्स सिस्टम	1	71726	242	0	0	0	1	242	71484	36	71520	206	242	
पेपर श्रेडर टारस	1	14472	349	0	0	0	1	349	14123	52	14175	297	349	
फोटोकॉपियर (डब्ल्यूसी 123 कॉपियर प्रिंटर)	1	351380	9171	0	0	0	1	9171	342209	1376	343585	7795	9171	
हीट ब्लोअर	1	1360	36	0	0	0	1	36	1324	5	1329	31	36	
ऑफिस फैन	1	768	20	0	0	0	1	20	748	3	751	17	20	
पैनासोनिक टेलीफोन प्लान सिस्टम	1	12350	2056	0	0	0	1	2056	10294	308	10602	1748	2056	
क्राउन हीट कन्वर्टर्स	6	7358	192	0	0	0	6	192	7166	29	7195	163	192	
फ्रैंकिंग मशीन आईजे40	1	129353	16206	0	0	0	1	16206	113147	2431	115578	13775	16206	
वजन के साथ वापस			0	0	0	0		0		0		0	0	
ज़ेरॉक्स मशीन Wc-5745 (मई-2013)	1	307534	54415	0	0	0	1	54415	253119	8162	261281	46253	54415	
टेलीफ़ोन उपकरण (अगस्त-2013)	24	14700	2632	0	0	0	24	2632	12068	395	12463	2237	2632	
फ़ैक्स मशीन सैमसॉन्ग (SF-651) (दिसंबर-13)	1	14595	2824	0	0	0	1	2824	11771	424	12195	2400	2824	
बायोमैट्रिक अटेंडेंस मशीन (U300)(3/13)	1	14490	2893	0	0	0	1	2893	11597	434	12031	2459	2893	
टेलीफ़ोन उपकरण (मार्च-2013)	1	1299	34	0	0	0	1	34	1265	5	1270	29	34	
हीट कन्वर्टर (क्राउन)	7	11812	2651	0	0	0	7	2651	9161	398	9559	2253	2651	
इलेक्ट्रिक केटल	1	1000	224	0	0	0	1	224	776	34	810	190	224	
UPS (APC 600VA) (30/7/2015)	3	9788	3167	0	0	0	3	3167	6621	475	7096	2692	3167	
टेलीफ़ोन उपकरण	15	11498	301	0	0	0	15	301	11197	45	11242	256	301	
प्लान सिस्टम	1	4500	117	0	0		1	117	4383	18	4401	99	117	
बैटरी और ट्रॉली के साथ इन्वर्टर (05-11-2018)	2	248340	118731				2	118731	118035	17810	135845	100921	118731	
फ़्रैंकिंग मशीन (29-03-2019)	1	85100	50634				1	50634	34466	7595	42061	43039	50634	
वोल्टास स्प्लिट AC 2 टन (31-05-2019)	1	55987	33312				1	33312	22675	4997	27672	28315	33312	
वोल्टास एयर कंडीशनर (24-06-2019)	1	45989	27364				1	27364	18625	4105	22730	23259	27364	
बजाज सीलिंग फ़ैन (08-08-2019)	4	4885	2906				4	2906	1979	436	2415	2470	2906	
बजाज केबिन पंखे (19-08-2019)	8	15115	8994				8	8994	6121	1349	7470	7645	8994	
वाटर डिस्पेंसर (30-08-2019)		163669	97384					97384	66285	14608	80893	82776	97384	
माइक्रोवेव ओन (30-08-2019)	2	20000	11900				2	11900	8100	1785	9885	10115	11900	
फोटोकॉपियर सह प्रिंटर मल्टी पर्पस (09-02-2019)	4	175184	137738				4	137738	37446	31829	69275	105909	137738	
स्प्लिट एयर कंडीशनर (16-01-2020)	1	32999	25945				1	25945	7054	5996	13050	19949	25945	
ऑटोमैटिक सैनिटाइज़र (22.06.2020)	2	14998	10836				2	10836	4162	1625	5787	9211	10836	
प्रेस्टीज इंडक्शन हीटर (23.07.2020)	2	6776	4896				2	4896	1880	734	2614	4162	4896	
ल्यूमिनोज़ यूपीएस 600 प्रो 650 (17.08.2020)	9	19296	13942				9	13942	5354	2091	7445	11851	13942	

राम सरन / Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा / Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (वित्त), CARA / Director (Finance), CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing 2, 2nd Floor, R.K. Puram

														30
एक इन्वर्टर बैटरी (24-08-2020)	1	14500	11092			0	1	11092	3408	1664	5072	9428	11092	
एग्जॉस्ट फैन (15.09.2020)	1	1500	1084				1	1084	416	163	579	921	1084	
माइक्रोटेक इंट्रैक्टिव यूपीएस (11.01.2021)	1	4698	3694				1	3694	1004	554	1558	3140	3694	
माइक्रोवेव ओवन (08.02.2021)	2	14400	11322				2	11322	3078	1698	4776	9624	11322	
माइक्रोवेव ओवन (23.03.2021)	1	9799	7704				1	7704	2095	1156	3251	6548	7704	
हिताची एयर कंडीशनर (30.03.2021)	2	78480	61705				2	61705	16775	9256	26031	52449	61705	
मल्टी पर्पस प्रिंटर (6.08.2021)	4	197758	168094				4	168094	29664	25214	54878	142880	168094	
जैज़ टेबल लैंप (10.01.2022)	1	4000	3700				1	3700	300	555	855	3145	3700	
विंडो एयर कंडीशनर (15.06.2022)				1	34440			34440	0	5166	5166	29274	0	
मैट्रिक्स बायोमेट्रिक सिस्टम (29.06.2022)				2	79544			79544	0	11932	11932	67612	0	
यूपीएस बैटरी (21.07.2022)				29	33862			33862	0	5079	5079	28783	0	
ब्लोअर (24.01.2023)				2	4000			4000	0	300	300	3700	0	
यूपीएस (01.03.2023)				35	172445			172445	0	12933	12933	159512	0	
कुल		**3728361**	**1444932**		**324291**	**0**		**1769223**	**2271855**	**265425**	**2537280**	**1503798**	**1444932**	
सी. कंप्यूटर और परिधीय (40%)														
कंप्यूटर (एसर) इंटेल डुअल कोर (6/6/2008)	7	265511	943	0	0	0	7	943	264568	377	264945	566	943	
सर्वर (एसर) इंटेल ज़ियो डुअल कोर (12/7/11)	1	206905	1340	0	0	0	1	1340	205565	536	206101	804	1340	
कंप्यूटर (एचसीएल) इंटेल कोर 15	7	276312	1790	0	0	0	7	1790	274522	716	275238	1074	1790	
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2011 (एचसीएल)	7	112482	728	0	0	0	7	728	111754	291	112045	437	728	
प्रिंटर (एचपीएलजेपी16060एम)	3	35278	229	0	0	0	3	229	35049	92	35141	137	229	
प्रिंटरकलर (एचसीएल)	2	71838	466	0	0	0	2	466	71372	186	71558	280	466	
एचपी डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रीलोड के साथ	14	618424	4007	0	0	0	14	4007	614417	1603	616020	2404	4007	
एचपी प्रिंटर (अगस्त-2013)	7	78071	506	0	0	0	7	506	77565	202	77767	304	506	
एलईडी टीवी पैनासोनिक 42 इंच (29/10/14)	1	42000	272	0	0	0	1	272	41728	109	41837	163	272	
प्रिंटर एचपी स्कैनर और फैक्स के साथ (3/2/15)	1	14800	96	0	0	0	1	96	14704	38	14742	58	96	
प्रिंटर लेजर जेट एचपी (31/3/15)	4	98700	640	0	0	0	4	640	98060	256	98316	384	640	
टैली ईआरपी9 गोल्ड 14/10/2015	1	54000	1642	0	0	0	1	1642	52358	657	53015	985	1642	
कंप्यूटर एचपी ओएस के साथ (10/2/2016)*	12	680659	32339	0	0	0	12	32339	648320	12936	661256	19403	32339	
कंप्यूटर एचपी 12/09/2015	16	863537	41028	0	0	0	16	41028	822509	16411	838920	24617	41028	
कंप्यूटर प्रिंटर एचपी 12/09/2015	8	124195	5900	0	0	0	8	5900	118295	2360	120655	3540	5900	
HP मॉनीटर TFT 24" 21/02/2016	2	28980	1376	0	0	0	2	1376	27604	550	28154	826	1376	
बाहरी हार्ड डिस्क 1 TB WD31/3/2016	1	5355	254	0	0	0	1	254	5101	102	5203	152	254	
APC UPS 800 VA 12.9.16	1	5513	375	0	0	0	1	375	5138	150	5288	225	375	
TFT HP 23 vx LED मॉनीटर 31.5.16	2	28580	1553	0	0	0	2	1553	27027	621	27648	932	1553	
HP 1108 लेजर प्रिंटर 23.8.16	1	9503	614	0	0	0	1	614	8889	246	9135	368	614	
कंप्यूटर सिस्टम HP20/0291N 22.2.17	4	127600	10864	0	0	0	4	10864	116736	4346	121082	6518	10864	
कंप्यूटर सिस्टम HP22/B032 IN 22.2.17	4	197600	16823	0	0	0	4	16823	180777	6729	187506	10094	16823	
कंप्यूटर सिस्टम HP24/Q151 IN 22.2.17	4	292800	24928	0	0	0	4	24928	267872	9971	277843	14957	24928	
POE स्विच 24 पोर्ट 30.3.17	2	32512	2879	0	0	0	2	2879	29633	1152	30785	1727	2879	
POE स्विच 8 पोर्ट 30.3.17	5	21094	137	0	0	0	5	137	20957	55	21012	82	137	
POE स्विच 10 पोर्ट 30.3.17	1	10125	897	0	0	0	1	897	9228	359	9587	538	897	
IP डोम कैमरा इनडोर 31.3.17	8	72000	6376	0	0	0	8	6376	65624	2550	68174	3826	6376	
IP बुलेट कैमरा इनडोर 31.3.17	4	34200	3029	0	0	0	4	3029	31171	1212	32383	1817	3029	
12 TB हार्ड डिस्क के साथ 16 चैनल का NVR 31.3.17	1	106875	9464	0	0	0	1	9464	97411	3786	101197	5678	9464	
कंप्यूटर सिस्टम HP-22-B232 इन 31.3.17	8	457512	40516	0	0	0	8	40516	416996	16206	433202	24310	40516	
HP लेजरजेट प्रो MFP M477 प्रिंटर (रंगीन) 31.3.17	1	62000	5491	0	0	0	1	5491	56509	2196	58705	3295	5491	
Epson L380 इंकजेट प्रिंटर 31.3.17	1	21800	1931	0	0	0	1	1931	19869	772	20641	1159	1931	

राम सरन/Ram Saran
एकीकृत वित्त अधिकारी, कारा/Integrated Finance Officer, CARA
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Government of India

डॉ. जगन्नाथ पति/Dr. Jagannath Pati
निदेशक, CARA/Director
Central Adoption Resource
महिला एवं बाल विकास
Ministry of Women & Child Development

Member Secretary & CEO, CARA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Government of India
West Block, R.K. Puram

														31
लैपटॉप- एप्पल MMGF 2 (i-5)31.3.17	2	131000	11600	0	0	0	2	11600	119400	4640	124040	6960	11600	
लैपटॉप HP=15-BE01474 (i-3) 31.3.17	4	150000	13283	0	0	0	4	13283	136717	5313	142030	7970	13283	
CCTV कैमरा 31.3.17	4	36000	3188	0	0	0	4	3188	32812	1275	34087	1913	3188	
2 TB HDD सीगेट हार्ड डिस्क (17.8.17)		6350	671	0	0	0		671	5679	268	5947	403	671	
MS Office होम 2016-मैक (17.8.17		13500	1426	0	0	0		1426	12074	570	12644	856	1426	
HP कीबोर्ड और माउस कॉम्बो 22.1.18		7700	946	0	0	0		946	6754	378	7132	568	946	
नॉन-प्लान ट्रांसफर			0									0	0	
टेलीफोन इंस्ट्रमेंट (नोकिया 6260)	1	16500	107	0	0	0	1	107	16393	43	16436	64	107	
HP लेजरजेट प्रिंटर मॉडल 1020	1	11934	77	0	0	0	1	77	11857	31	11888	46	77	
पेन ड्राइव 4 GB	1	500	3	0	0	0	1	3	497	1	498	2	3	
बाहरी हार्ड डिस्क 500 GM	1	4950	32	0	0	0	1	32	4918	13	4931	19	32	
HP लैपटॉप	1	64039	415	0	0	0	1	415	63624	166	63790	249	415	
बाहरी हार्ड डिस्क 500 GM (सीगेट)	1	4600	30	0	0	0	1	30	4570	12	4582	18	30	
वेब कैमरा (लॉजिटेक-C-170)	1	1365	9	0	0	0	1	9	1356	4	1360	5	9	
सोनी डिजिटल कैमरा (W830 और W810)	2	14605	95	0	0	0	2	95	14510	38	14548	57	95	
लैपटॉप (04/12/2018)	4	249596	46724				4	46724	202872	18690	221562	28034	46724	
प्रस्तुतकर्ता लॉजिटेक (06/02/2019)	1	3450	695				1	695	2755	278	3033	417	695	
कीबोर्ड और माउस कम्पो (31-3-2019)	10	6890	1488				10	1488	5402	595	5997	893	1488	
राउटर डीलिंक (31-3-2019)	1	1360	294				1	294	1066	118	1184	176	294	
स्विच डी-लिंक 8 पोर्ट (31-3-2019)	1	1300	281				1	281	1019	112	1131	169	281	
एचपी कंप्यूटर ऑल-इन-वन (26-09-2019)	5	279995	60479				5	60479	219516	24192	243708	36287	60479	
एमआई डिजिटल टेलीविजन (17-10-2019)	3	33997	9791				3	9791	24206	3916	28122	5875	9791	
अरूबा वायरलेस सिस्टम	1	59708	17196				1	17196	42512	6878	49390	10318	17196	
यूपीएस 1 केवी	1	4068	1171				1	1171	2897	468	3365	703	1171	
सिक्योरिटी कैमरा (06.07.2020)	1	2899	1043				1	1043	1856	417	2273	626	1043	
मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कैनन (25.09.2020)	4	195957	70544				4	70544	125413	28218	153631	42326	70544	
एचपी कंप्यूटर (15.10.2020)	1	84573	40595				1	40595	43978	16238	60216	24357	40595	
वन मल्टी फंक्शनल प्रिंटर (6.11.2020)	1	59278	28453				1	28453	30825	11381	42206	17072	28453	
कंप्यूटर (11.01.2021)	1	80298	38543				1	38543	41755	15417	57172	23126	38543	
माउस और कीबोर्ड कम्पो (26.02.2021)	20	14801	7105				20	7105	7696	2842	10538	4263	7105	
इंटेक्स स्मार्ट टेलीविज़न (15.03.2021)	1	14988	7194				1	7194	7794	2878	10672	4316	7194	
कैनन स्कैनर (22.03.2021)	2	99330	47678				2	47678	51652	19071	70723	28607	47678	
कंप्यूटर इवेल (31.03.2021)	3	286034	137296				3	137296	148738	54918	203656	82378	137296	
आरएक्सटर्नल हार्ड डिस्क (12.02.2020)	2	10300	2966				2	2966	7334	1186	8520	1780	2966	
1 टीबी हार्ड डिस्क (06.08.2021)	2	23431	23431				2	23431		18744	18744	4687	23431	
लैपटॉप (29.03.2022)	3	270000	270000				3	270000		162000	162000	108000	270000	
कंप्यूटर डेस्कटॉप (29.03.2022)	2	174000	174000				2	174000		104400	104400	69600	174000	
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क (18.07.2022)				1	14398			14398	0	5759	5759	8639	0	
वेब कैमरा और स्पीकर (21.07.2022)				3	8704			8704	0	3482	3482	5222	0	
एचपी कीबोर्ड और माउस (05.08.2022)				15	13155			13155	0	5262	5262	7893	0	
वीडियो सेनफ्रेंसिंग सिस्टम (12.09.2022)				1	498500			498500	0	199400	199400	299100	0	
टीवीएस कीबोर्ड (14.02.2023)				3	7341			7341	0	1468	1468	5873	0	
हार्ड डिस्क डब्ल्यूडी 1टीबी (23.02.2023)				1	3450			3450	0	690	690	2760	0	
9वी बैटरी (28.02.2023)				1	60			60	0	12	12	48	0	
कुल		7476057	1238282		545608	0		1783890	6237775	809555	7047330	974335	1238282	

राम शरण / Ram Saran
Integrated Finance Officer, CARA
Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati

सदस्य सचिव और सीईओ, कारा
Member Secretary & CEO, CARA
Ministry of Women & Child Development

															32
डी. लाइब्रेरी की किताबें		45521	374		0	0		374	0	0	0	374	374		
ई. प्रोग्राम एसेट्स							1								
कंपो बाइंडिंग मशीन (23-10-2019)	1	4500	2310				2	2310	2190	924	3114	1386	2310		
केयरिंग प्रोग्राम के लिए लैपटॉप (14/11/2018)	2	246380	42574				1	42574	203806	17030	220836	25544	42574		
निरीक्षण और मौद्रिकरण के लिए कैमरा (30/3/20)	1	24869	11732				1	11732	13137	4693	17830	7039	11732		
मीडिया और प्रचार के लिए कोरल ग्रो ग्राफिक (26/12/19)	1	67248	25823				7	25823	41425	10329	51754	15494	25823		
एंटीवायरस क्यूएच टॉर्टल शील्ड 3 साल (01/01/2020)	7	78400	27440				1	27440	50960	10976	61936	16464	27440		
सिक्योरिटी कैमरा *	1	5398	1943				2	1943	3455	777	4232	1166	1943		
कंप्यूटर डवेल (31.03.2021)	2	207000	99360					99360	107640	39744	147384	59616	99360		
कंप्यूटर (21.03.2023)				4	399460			399460	0	79892	79892	319568	0		
कंप्यूटर (27.03.2023)				2	199464			199464	0	39893	39893	159571	0		
एचपी मल्टीफ़ंक्शन मशीन				1	65000			65000	0	13000	13000	52000	0		
कुल		633795	211182		663924			875106	422613	217258	639871	657848	211182		
कुल योग		17185432	5185754	0	1643851	0	0	6829605	11942957	1530847	13473804	5298758	5185754		

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम राशि 31.03.2023 तक

अनुलग्नक-बी

क्र.सं.	एनजीओ/सरकारी कार्यालय का नाम	रिलीज की तिथि	राशि टिप्पणी	टिप्पणी
1	ICCW नई दिल्ली	19.8/10.9.2008	618,860	
2	यसोदा पुणे		55,000	
3	निदेशक, WCD, रायपुर	03.06.2010	164,320	
4	निदेशक, WCD, आंध्र प्रदेश	24.02.2011	248,808	
5	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागलैंड	02.09.2011	99,704	
6	ICDS, सोसायटी, बैंगलोर, कर्नाटक	20.10.2011	54,400	
7	आयुक्त और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014	237,510	
8	निदेशक, गोवा लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015	109,592	
9	निदेशक, SW और बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	10.12.2015	199,490	
10	सीईओ, एपी एसपीई ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, विजयवाड़ा	10.03.2016	132,329	
11	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	19.01.2018	354,712	
12	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	22.02.2018	117,173	
13	निदेशक, ICPS, सिक्किम	13.03.2018	213,251	
14	कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	15.03.2018	475,661	
15	कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	05.07.2019	110,839	
16	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार	17.09.2019	758,760	
17	पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण सोसायटी	11.11.2021	123,000	
18	निदेशक DSW, पटना	17.11.2021	123,000	
19	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	17.10.2022	304,320	
20	राज्य सरकार पुडुचेरी	14.11.2022	163,110	
21	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	14.11.2022	123,000	
22	सारा, विजयर्जे वात्सल्य, भवन भोपाल	22.11.2022	78,000	
23	सारा इंदिरावती भवन, छत्तीसगढ़	24.11.2022	87,000	
24	सारा महिला विकास और बाल कल्याण विभाग गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	24.11.2022	123,000	
25	सारा, बिहार	24.01.2023	325,020	
26	सारा असम	15.02.2023	284,280	
27	सारा मिजोरम	02.03.2023	328,680	
28	एनआईपीसीसीडी यूपी	09.03.2023	706,620	
			6,719,439	

कर्मचारियों को ऋण अग्रिम

	कर्मचारियों का नाम	बकाया राशि 31.03.2023 तक	बकाया राशि 31.03.2022 तक	टिप्पणी
ए	त्योहार अग्रिम:	-	-	
	कुल ए			
बी	हाउस बिल्डिंग अग्रिम:			
	बिनोद कुमार साहू-डीडी	-	1,568,500	
सी	कंप्यूटर अग्रिम:			
	कमल किशोर-डीडी	-	-	
डी	कार अग्रिम:	-	-	
ई	स्कूटर अग्रिम:			
	श्री सी.एस.भक्ता-एलडीसी	-	-	
एफ	टीए अग्रिम:			
	आशुतोष-एडी	-	-	
जी	मेडिकल अग्रिम:			
	संजय कुमार-डीईओ	-	-	
एच	अन्य:			
	दीपक राठौर	5,000	5,000	
	कुल	5,000	1,573,500	

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन पत्र

35

क्रम सं.	व्यय मद	व्यय का विवरण	राशि
1	ऑडिट शुल्क खाता	सांविधिक लेखापरीक्षा (सी एंड एजी)	203,280
2	टेलीफोन व्यय	एमटीएनएल	27,283
3	गोद लेने की हेल्पलाइन सेवा शुल्क	एमटीएनएल	16,922
		सकल योग:-	247,485

टिप्पणी

"प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेज़ी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।"

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कुष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066
टोल फ्री / टेली. नं. : 1800–11–1311, 011–26760471 / 72 / 73 / 74
ई–मेल : carahdesk.wcd@nic.in
वेबसाईट : cara.wcd.gov.in

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

Ministry of Women & Child Development, Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066
Toll Free / Tel. No. : 1800-11-1311, 011-26760471 / 72 / 73 / 74
Email : carahdesk.wcd@nic.in
Website : cara.wcd.gov.in